

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावरण मन्त्र, गेट-18, नया राष्ट्रीय कालेज भवन, दिल्ली-110068 (भारत)

ई-मेल : 2525252525@parmaa.com

विषय- राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 28/05/2020 को सम्पन्न 323वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

—01—

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 323वीं बैठक दिनांक 28/05/2020 को श्री श्रीरंग कर्मा, अध्यक्ष, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया -

1. श्री श्रीरंग कर्मा, अध्यक्ष, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
2. श्री अशोक कुमार शर्मा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
3. श्री गीतेश्वर प्रसाद राठौर, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
4. श्री एम.एम.सु.का. खान, अध्यक्ष, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
5. श्री विवेक कुमार पौन, अध्यक्ष, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
6. श्री दीपक शिखा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
7. श्री मोहम्मद शिखार खटिपान, अध्यक्ष, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति

श्री श्रीरंग कर्मा द्वारा विहित कार्यवाही के सन्दर्भ में बैठक की अध्यक्षता की गई। समिति द्वारा एनका में तैयार किए गए निम्नानुसार विवरण किया गया -

एनका कार्यवाही क्रमांक-1: 323वीं बैठक दिनांक 27/05/2020 बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

~~राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 323वीं बैठक दिनांक 27/05/2020 को सम्पन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। राहत समिति ने समिति सम्पन्न हुई।~~

1. मेरठ की नवखोर सिंग (ई-2 बंशीपुर सेक्टर साईन, धाम-बशीपुर,
तहसील-धामपुर, जिला-सुराजपुर), तहसील व जिला-समथरी (सचिवालय
का नक्शे क्रमांक 1249)

ऑनलाईन आवेदन - उपरोक्त खान - एकाइए / सीडी / एकाइए /
148388 / 2020 दिनांक 12/05/2020।

वस्तु का विवरण - यह प्रस्तावित खान खदान (राज्य खनिज) है। यह खदान
धाम-बशीपुर, तहसील-धामपुर, जिला-सुराजपुर सिंग खदान क्रमांक 148388, कुल
क्षेत्र क्षेत्र 4.38 हेक्टेयर में अवस्थित है। उपरोक्त खान नदी व किवा जला
अवरोधित है। खदान की आगेवा अनुमति क्रमांक-833123 खनिज प्रमाण है।

बैठकों का विवरण -

(ख) सचिवा की 322वी बैठक दिनांक 18/05/2020

सचिवा द्वारा उपरोक्त की नदी एवं प्रस्तावित खानकी का परीक्षण तथा सार्वजनिक
सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

1. प्रस्तावित खान क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पार की चौड़ाई की
आवश्यकता प्रमाण की जाए।
2. इस प्रस्तावित हेतु प्रस्तावित खान एवं प्रस्तावित खान की आग्नेय तथा
उत्तरपश्चिम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुंथ 25 मीटर का सिंग
अवरोध, जमीन में इस खान के लेवल्स Levels लेकर सिंग क्षेत्र व अर्थात् कर
प्रस्तावित किए जाएं। इनके अतिरिक्त खान क्षेत्र से बाहर / नदी तट (सीडी
क्षेत्र) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी बाधा के पारों Levels का भी सर्वे
किया जाए। खान क्षेत्र के Levels हेतु कम से कम 3 टेम्पलेरी वेथ मार्क
(Consolidated TBM structure) निर्धारित किए जाएं। टेम्पलेरी वेथ मार्क (TBM) में
को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किए जाएं। सिंग क्षेत्र में
टेम्पलेरी वेथ मार्क (TBM) का भी दायरे पर उन्हें खनिज विभाग से उपरोक्त
उपरोक्त फोटोग्राफ सहीत अनावरी/वस्तुगत प्रस्तावित किए जाएं।
3. नदीपार से खदान की क्षेत्र की दूरी न्यूनतम 10 मीटर का नदी के पार की
चौड़ाई का 10 प्रतिशत (दो से अधिक हो) नदी जमीन है। यदि इससे अनुसार
खदान के पार क्षेत्र में अनुमति सिंग जला खान व ही ही इसकी समान कर
सभी पर दायरे पर इसका अलग-अलग स्ट्रक्चर खान में अतिरिक्त क्षेत्र से तयकर
जाए। खदान के खान क्षेत्र एवं अतिरिक्त क्षेत्र को नदी पर खनिज विभाग से
तीसरेबार अनावरी, जला एवं प्राप्त किया जाए।
4. प्रस्तावित खान में निम्नतम कुल, कम, एकीकृत एवं पार आग्नेय क्षेत्र की दूरी
कम से कम 100 मीटर प्रमाण की जाए। कुल / एकीकृत की दूरी खदान के उत्तरपश्चिम में
न्यूनतम 500 मीटर तथा उत्तरपश्चिम में न्यूनतम 250 मीटर तथा खान अनावरी
है। यदि क्षेत्र क्षेत्र अनावरीनुसार दूरी में अंतर सिंग हो, तो उपरोक्त खान
का खान हेतु अतिरिक्त क्षेत्र की अनावरीनुसार नदी पर विनिर्दिष्ट कर,
उपरोक्त क्षेत्र एवं तीसरेबार तथा स्ट्रक्चर खान में इस बाधा अनावरी किया जाए।

अनुसार जल संचयन के 200 मीटर की परिसर में खेती की कार्यालयिक क्षेत्र की संरक्षण, मूल पुन, वायु, राष्ट्रीय राजमार्ग, राजधानी, एनोकाट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्धारित नहीं है।

6. एन.जी.एच. का विवरण - एन.जी.एच. कर्माचार्य कलेक्टर (अतिरिक्त कलेक्टर) जिला-सुरासुर के अंतर्गत अक्षांश 24°58'N/दो.रे./दि.रे./म.सं.२२/2019 सुरासुर दिनांक 18/02/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अंतिम 2 जे.के.के. है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - जिला संचयन परिसर, जल क्षेत्र संचयन परिसर में संचयन नई दिल्ली के जलसुखा दिनांक 26/08/2018 द्वारा जारी प्रत्येक में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. गांववर्षा संरक्षणों की दूरी - निम्नलिखित आवासीय वन-सुरासुर 1 कि.मी. सुरासुर वन-सुरासुर 1.5 कि.मी. एवं आवासीय जल 4 कि.मी. की दूरी का विचार है। राष्ट्रीय राजमार्ग 221 कि.मी. एवं राजधानी 2.4 कि.मी. दूर है। एनोकाट जल संचयन के 1 कि.मी. की दूरी तक पुन/एनोकाट विचार नहीं है।
9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - जिला संचयन कलेक्टर, सुरासुर कलेक्टर, जिला-सुरासुर के अंतर्गत अक्षांश /दि.रे./1520 सुरासुर दिनांक 27/08/2020 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदन भूमि वन क्षेत्र की सीमा में 200 मीटर की दूरी का है।
10. पारिस्थितिकीय/जीवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - जिला संचयन कलेक्टर द्वारा 10 कि.मी. की परिसर में आवासीय वन राष्ट्रीय राजमार्ग अनापत्ति, जल संचयन विभाग को द्वारा जल संचयन कलेक्टर, जिला संचयन, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र का जल संचयन कलेक्टर जल संचयन नदी द्वारा प्रतिबंधित किया है।
11. सचन स्थल पर नदी की घाट की चौड़ाई एवं सचन की नदी तट से दूरी - अंतिम अनुसार सचन स्थल पर नदी की घाट की चौड़ाई - अंतिम 120 मीटर, न्यूनतम 120 मीटर तथा सचन स्थल की चौड़ाई - अंतिम 400 मीटर, न्यूनतम 400 मीटर, चौड़ाई - अंतिम 300 मीटर, न्यूनतम 300 मीटर चौड़ाई नहीं है। सचन की नदी तट से दूरी अंतिम 14 मीटर, न्यूनतम 8 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से दूरी नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।
12. सचन स्थल पर रेत की मोटाई - अंतिम अनुसार सचन पर रेत की मोटाई - 3.14 मीटर तथा सचन की वलायित मोटाई - 1.1 मीटर चौड़ाई नहीं है। अनुमानित साईमिन प्लास अनुसार सचन में साईमिन रेत की मात्रा - 43,312 घनमीटर है। सचन संचयन क्षेत्र, जिला संचयन कलेक्टर जल संचयन के सचन की मोटाई सचन के लिए प्रस्तावित सचन पर 3 मीटर (3m) अंतिम सचन की वास्तविक मोटाई का सचन कर, अंतिम सचन से प्रस्तावित सचन की प्रस्तावित नहीं है। इसकी अनुसार सचन की वास्तविक सचन मोटाई 3.14 मीटर है। सचन की वास्तविक मोटाई सचन सचन की प्रस्तावित सचन सचन है।
13. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण - इस सचन की पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

14. **खदान क्षेत्र में रेत संतुष्ट की व्यवस्था** – रेत संकलन हेतु प्रस्तावित खान एवं प्रस्तावित खान के आसपास एक आसपास की 100 मीटर की भूरी तल, 25 मीटर गुना 25 मीटर से विभिन्न दिशाओं पर विभाजित 20/02/2020 को रेत संतुष्ट की व्यवस्था व्यवस्था Levee जैसा, उन्हें अधिक विभाग से इमान्दारीयता खदान की/विकास सहायता/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संकलन गई दिशा के जोड़न विभाग 01/08/2018 के अनुसार की है/आर (Corporate Environment Responsibility) हेतु निर्दिष्ट की लक्ष्य विभाग से कोई उपरोक्त निर्माण/कार्य विभाग प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है -

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
41.2	2%	0.82	Following activities at Nearby Government Adarsh Navam Malharic Shale Village-Banshipur	
			Rain Water harvesting System	1.01
			Plantation with fencing	0.10
			Total	1.11

16. **रीफ माइनिंग क्षेत्र** – नदी के तट की सीमाई अधिकतम 100 मीटर एवं खुदरा - 125 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट से दूरी मूलतः 3 मीटर है। खदान की नदी तट से दूरी नदी के तट की सीमाई का खुदरा 10 प्रतिशत होना चाहिए। जो माइनिंग खान से नदी तट से खुदरा 12 मीटर अधिकतम संकलन किया जाना प्रस्तावित है, जिससे 2,000 वर्गमीटर रीफ माइनिंग क्षेत्र बनाया गया है। इस प्रकार रीफ प्रकल्प का कार्य अंशिक 4.37 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाकर प्रस्तावित है।

17. जो संकलन के/प्रकार विधि से एवं नदी का कार्य क्षेत्र द्वारा खान का प्रस्तावित है।

18. पर्यावरण संरक्षण द्वारा 1.1 मीटर की गहराई तक प्रकल्प की अनुमति मानी है। अनुमति प्रकल्प क्षेत्र में प्रकल्प विधि जाने वाले क्षेत्र की अधिकतम जो खुदरा क्षेत्री प्रकल्प कार्य एवं प्रकल्प क्षेत्रों का समावेश नहीं किया गया है। खान की छोटी नदी है तथा प्रकल्प क्षेत्रों में संकलन 1 मीटर गहराई से अधिक जो का खुदरा क्षेत्रों की संकलन है।

 निर्णय द्वारा विभाग विचार प्रस्ताव संबंधित विधि से निर्माण/कार्य विधि किया गया है -

1. **खदान खदान (खान-बंदीपुर) का संकलन 2.5 मीटर है।** खदान की सीमा की 100 मीटर की सीमा से नदी/सहायक खदानों का खुदरा संकलन 2.5 मीटर का प्रस्तावित है जो खान की सीमा की 2 मीटर की सीमा मानी है।

2. **सुसादीयता कार्य** – आधुनिकता के आधार पर नदी लट कर कुल 1,300 मीटर चौड़ा - 800 मीटर गहराई के साथ कुल क्षेत्र 800 मी. (मिथुन, कर्कट, राश, मीन) काही, पीले लताएं काटने। इनको अधिकांश पशुएं काटी पर 800 मी. चौड़े अखाड़ा काटने।
3. **सर्वोच्चतम प्रसन्नता सेल खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्षों में विस्तृत माप अवलोकन (Detailed Study) करावेगा** जहाँ सेल के पुनर्स्थापन (Replenishment) कायदा जारी आगामी सेल प्रसन्नता सेल नदी, नदीतल, स्थानीय जनसंख्या, जल संचयन, जल संचयन पर प्रभाव तथा नदी के पानी की-सुलभता पर सेल प्रसन्नता से प्रभाव की नदी आगामी प्राप्त हो सके।
4. **सीक क्षेत्र की सहायता का बेसलाईन आटा** –
 - i. परिवर्तन प्रभावक द्वारा खदानों के पूर्व काल सीक क्षेत्र की खदान / नदी लट (दोनों क्षेत्र) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सहायता के साथ (Levels) का सीक क्षेत्र किया जाएगा। खदानों तथा नदी सहायता के साथ (Levels) का सीक क्षेत्र 25 मीटर 25 मीटर के अखाड़ा (Grid) में किया जाएगा।
 - ii. सेल-खदान की खदानों कायदा के पूर्व-पशु सहायता की अधिकांश सहायता/खदानों में नदीतल क्षेत्र क्षेत्र तथा सीक क्षेत्र की खदानों एवं खदानों से 100 मीटर तक क्षेत्र काल सीक क्षेत्र की खदान / नदी लट (दोनों क्षेत्र) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सहायता के साथ (Levels) का सीक क्षेत्र किया जाएगा किन्तुओं पर किया जाएगा।
 - iii. इसी प्रकार सहायता-सहायता से सेल प्रसन्नता प्रदान करने के पूर्व यह खदानों इसी किन्तुओं पर सेल सहायता के अधिकांश (Levels) का काल किया जाएगा।
 - iv. सेल सहायता के पूर्व किया किन्तुओं पर सेल सहायता की खदान (Levels) का काल पर जारी आगामी 1 वर्ष तक विस्तृत किया जाएगा। सेल-सहायता से आगामी विस्तृत 2020, 2021, 2022 एवं सेल-सहायता से आगामी प्रसन्नता 2020, 2021, 2022 तक अधिकांश काल से एस.ई.आई.ए.ए. प्रसन्नता को प्रस्तुत किए जायेंगे।
5. **समिति द्वारा किया किन्तु उपरत सर्वेक्षणों से की खदानों किन्तु 1-2 नदीतल क्षेत्र सहायता सहायता अखाड़ा 1,000 मीटर-नदीतल सहायता-खदानों, विस्तृत-सहायता, कुल क्षेत्र अखाड़ा 4,000 हेक्टरों में से सेल सहायता क्षेत्र 8,000 हेक्टरों क्षेत्र काल करने पर 4,000 हेक्टरों क्षेत्र में सेल प्रसन्नता अधिकांश 1 मीटर की सहायता तक सीक क्षेत्र सहायता, कुल 40,000 हेक्टरों अधिकांश सेल प्रसन्नता सेल प्रसन्नता-01 में अधिकांश सहायता के अधिकांश सहायता अधिकांश, जहाँ दिनांक से 02 वर्ष तक की अधिकांश सेल सहायता की अनुसंधान की गई। सेल की सहायता अधिकांश द्वारा (Monthly) की जाएगा। सेल सेल अधिकांश सेल में नदी सहायता सेल प्रसन्नता अधिकांश होगा। सीक क्षेत्र में सेल सेल सहायता सहायता अधिकांश प्रसन्नता में अधिकांश सहायता सेल सेल अधिकांश सहायता इसी द्वारा किया जाएगा।**
6. **सेल सहायता क्षेत्र एवं अधिकांश सहायता क्षेत्र का सीक पर अधिकांश विस्तृत से सहायता अधिकांश सहायता से सहायता की अधिकांश विस्तृत द्वारा प्रसन्नता की अनुसंधान की अनुसंधान की जाएगी।**

12. पर्यावरण प्रभाव (परिचित रूप में) विवरण-डीपीए के प्रथम अंक 2349 / एन / वि.डी / 02 / 2020 / के अनुसार / परिचित दिनांक 22 / 09 / 2020 के अनुसार जी 2017-18 में 5.250 करोड़ रुपये 2018-19 में 80.358 पर्यावरण व्यय किया गया है।
13. निम्नलिखित पर्यावरण ब्याजों में से कोई भी नहीं किया गया है।

13. **आवास क्षेत्र में रीट बांध के लेवलस** - इन आवासों में प्रस्तावित बांध एक प्रस्तावित बांध के आसपास एक आसपास में 100 मीटर की दूरी तक 25 मीटर लंबा 25 मीटर की चौड़ाई में सिविल सिविल पर दिनांक 14 / 02 / 2020 को से बांध के निर्माण के लिए (Levels) के लिए उन्हें निर्मित विभाग से प्रस्तावित पर्यावरण प्रभाव का निम्नलिखित जानकारी / पर्यावरण अनुभव किया गया है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** - भारत सरकार, पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के को.एम. दिनांक 01 / 09 / 2018 के अनुसार को.एम. (Corporate Environment Responsibility) को परिचित के द्वारा निर्धारण से प्राप्त पर्यावरण प्रभाव का निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है -

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
14.1	2%	0.28	Following activities at Nearby Government Higher Secondary School Village-Harchoka	
			Rain Water Harvesting System	1.02
			Running water facility for Toilets	0.10
			Plantation	0.05
			Total	1.17

15. **नदी गाईनिंग क्षेत्र** - नदी के पार की सीढ़ाई अधिकतम 140 मीटर एक अनुमान - 80 मीटर है, जबकि खदान नदी तट पर लगी हुई है। खदान की नदी तट से दूरी, नदी के पार की सीढ़ाई का अनुमान 14 प्रतिशत होने चाहिए। इस गाईनिंग क्षेत्र में नदी तट से अनुमान 14 मीटर से 10 मीटर अधिकतम अनुमान किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 800 पर्यावरण नदी गाईनिंग क्षेत्र रखा गया है। इस प्रकार के अनुमान का कार्य अर्थात् 4.92 करोड़ रुपये में किया जाना प्रस्तावित है।

16. इन अनुमानों में कुछ विधि से एक ब्याज का कार्य लक्ष्य प्राप्त करना जल्द प्रस्तावित है।

17. **परिष्कारित प्रस्तावित द्वारा 1.15 मीटर की गहराई तक अनुमान की अनुमति नहीं है।** अनुमति प्राप्त अनुमान में अनुमान किए जाने वाले क्षेत्र की परिचित से अनुमान सबसे अधिकतम कार्य एक अनुमानित अनुमान का अनुमान नहीं किया गया है। नदी नदी छोटी नदी है तथा इसमें पर्यावरण से अनुमान 1 मीटर गहराई से अधिक रीट का अनुमान होने की संभावना है।

(Excavation job) की जड़ित गार्डर तक 10 का परिवहन पैकज हमी क्लाइंट द्वारा किया जाएगा।

1. गैर-सूचित क्षेत्र एवं अज्ञात गार्डर क्षेत्र का गार्डर पर-सूचित विभाग से लक्ष्य सीमांकन करने के कारण ही सूचित विभाग द्वारा आवश्यक की अनुमति दी जाएगी।

साथ-साथ पर्यावरण, जलवायु, निर्माण प्रक्रियाएं (एनईआईएन), कमीशनर को सकारात्मक सूचित किया जाए।

2. वेसर्त श्री राजेश शिव काकुर (सी-1, बालीपारा रोड बाईन, धाम-बालीपारा, तहसील-प्रतापपुर, जिला-सुरजपुर), किर्लोका नगर, राष्ट्रीय 4 जिला-मिनापुर (सचिवालय का नक्की क्रमांक 1234)

ऑनलाईन आवेदन - प्रस्ताव संख्या - एनएचईए / सीपी / एनएचईए / 147347 / 2020, दिनांक 06 / 03 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित क्षेत्र खदान (गोला खनिज) है। यह खदान धाम-बालीपारा, तहसील-प्रतापपुर, जिला-सुरजपुर जिला संख्या क्रमांक 422 एवं गोल क्षेत्र 49 (खनिज के परमाधिक है। उपरोक्त खदान नदी के किनारे जंगल परमाधिक है। खदान की आयतन अनुमान लगभग-88000 टन परमाधिक प्रमाणित है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18 / 05 / 2020

सूचित द्वारा खदान की जमीन एवं परमाधिक खदानों का परीक्षण तथा खदान पर्याप्तता की निम्नानुसार निर्णय किया गया था -

1. परमाधिक खदान क्षेत्र की जमीन एवं खनिज खदान नदी के घाट की सीमाएं की जानकारी प्राप्त की जाए।
2. यह खदान क्षेत्र परमाधिक खदान एवं परमाधिक खदान की अनुमानित तथा खदानों की 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर घुमा 25 मीटर का विद्यमान खदान, खदान में जो खदान के खनिजों Levels लेवल विद्यमान क्षेत्र में खनिज क्षेत्र परमाधिक क्षेत्र। इसमें खनिजों खदान क्षेत्र के खदान / गढ़ी तक (गोला क्षेत्र) की 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी खदान की घाटी (Levels) का भी सूचित किया जाये। इसमें खनिजों Levels, गढ़ी क्षेत्र की कम 2 टेम्पलेट क्षेत्र मार्ग (Concrete TBM structure) निर्धारित किया जाये। टेम्पलेट क्षेत्र मार्ग (TBM) में खदान, को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) खनिज क्षेत्र जाये। विद्यमान क्षेत्र में टेम्पलेट क्षेत्र मार्ग (TBM) का भी खनिज, सूचित सूचित विभाग से जानकारीपूर्ण उपरोक्त परीक्षण सूचित जानकारी / परमाधिक खदान किया जाये।
3. खदान में खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 10 मीटर या नदी के घाट की सीमाएं का 10 प्रतिशत (अथवा अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसमें अनुमान खदान की कुछ क्षेत्र में खदान किया जाना खदान न हो तो खदान खदान क्षेत्र पर खनिजों इसमें खनिजों खनिजों खदान में खनिजों क्षेत्र में खदान जाये। खदान के खदान क्षेत्र एवं खनिजों क्षेत्र की सीमा पर सूचित विभाग से सीमांकन करके खदान क्षेत्र द्वारा किया जाए।

4. 500 मीटर की परिधि में निम्न खदान - कार्योन्मत्त कार्योन्मत्त (स्थानिक खदान) जिला-सुरजपुर के ग्राम अर्थात् 3802/रवि/2020 सुरजपुर, दिनांक 04/03/2020 के अनुसार आवंटित खदान में 500 मीटर में घेरेर अवस्थित अन्य वेर खदानों की संख्या निम्न है।
5. 200 मीटर की परिधि में निम्न सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्योन्मत्त कार्योन्मत्त (स्थानिक खदान) जिला-सुरजपुर के ग्राम अर्थात् 3802/रवि/2020 सुरजपुर, दिनांक 04/03/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार तथा प्रमाण में 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे अस्पताल, स्कूल, पुन, धरम, एन्वयर एवं जल आपूर्ति जर्दि परिष्कृत क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एन.जी.अर्द का विवरण - एन.जी.अर्द कार्योन्मत्त कार्योन्मत्त (स्थानिक खदान) जिला-सुरजपुर के ग्राम अर्थात् 3814/मी.रा.रे./वि.जी./न.अ.02/2018 सुरजपुर, दिनांक 18/02/2020 द्वारा जारी की गई जिलाधी अर्दि 3 वर्ग हेक्टेर है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - कार्योन्मत्त कार्योन्मत्त एन.जी.अर्द परमाणु परिष्कृत खदान, नई दिल्ली की जर्नियल दिनांक 25/07/2018 द्वारा रिजिस्टर प्रमाण में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. सड़कपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निम्नोक्त आवधी ग्राम-सड़कगत 0.5 कि.मी. स्थूल सड़कगत 0.5 कि.मी. एवं अस्पताल परमाणु 0.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय सड़कगत 0.5 कि.मी. एवं राज्यधी 0.5 कि.मी. है। पून सड़कगत में 500 मीटर की दूरी पर अस्पताल में स्थित है।
9. धन विभाय का अनुमति प्रमाण पत्र - कार्योन्मत्त गणसंरक्षणधीनरी सुरजपुर संरक्षणधीन, जिला-सुरजपुर के ग्राम अर्थात् /न.वि./1802 सुरजपुर, दिनांक 27/06/2020 के जारी अनुमति प्रमाण पत्र अनुसार आवंटित भूमि 0.5 हेक्टेर की सीमा में 2 कि.मी. की दूरी पर है।
10. परिस्थितिधीन/जेवस्थिता संबंधधीन क्षेत्र - परिष्कृत प्रमाणधीन द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतरधीनरी क्षेत्र, राष्ट्रीय सड़कगत, अस्पताल, संधीन प्रमाण निरक्षण द्वारा द्वारा अधि डिस्ट्रीक्ट एन्वयर, कार्योन्मत्तधीन संबंधधीन क्षेत्र या अधि परिस्थिता संबंध स्थित नहीं होगा परिष्कृत स्थित है।
11. खदान स्थल पर नदी की घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट की दूरी - आवधन अनुसार खदान स्थल पर नदी की घाट की चौड़ाई - अधिखल 220 मीटर, न्यूनतम 180 मीटर तथा खदान स्थल की चौड़ाई - अधिखल 800 मीटर, न्यूनतम 600 मीटर, चौड़ाई - अधिखल 100 मीटर, न्यूनतम 80 मीटर चौड़ाई नहीं है। खदान की नदी तट की किन्धी से दूरी अधिखल 50 मीटर, न्यूनतम 10 मीटर है, जबकि दूसरी नदी तट की दूरी नदी के तट की चौड़ाई का 10 परिष्कृत सीमा अधि।
12. खदान स्थल पर वेर की चौड़ाई - आवधन अनुसार तथा पर वेर की चौड़ाई - 1.5 मीटर तथा वेर खदान की अनुमति चौड़ाई - 1.15 मीटर चौड़ाई नहीं है। अनुमतिधीन अधिखल खदान में चौड़ाईधीन वेर की मात्रा - 80000 घनमीटर है। वेर अनुमतिधीन वेर परिष्कृत स्थल पर अधिखल में अनुमतिधीन वेर चौड़ाई

की गहराई जलो की लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 मीटर (15ft) चौकाल वाली प्रस्तावित गहराई का मापन कर, क्षतिग्रस्त विभाग से प्राप्तिवा जमानवाटी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार जल की गहराई औसत गहराई 3.2 मीटर है। जल की प्रस्तावित गहराई हेतु संयोजन से प्रस्तुत किया गया है।

13. **दूर में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-** इस खदान को शुरू में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
14. **खदान बीच में जल सतह की गैरखतरा** - जल खदान हेतु प्रस्तावित स्थल एक प्रस्तावित स्थल की उपरद्वीप एक उपरगद्वीप में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर दूर 25 मीटर की सिविल सिन्धुओं पर विनांक 19/02/2020 को जल सतह की स्थिति लेवलिंग (Levels) लेवन, उपर क्षतिग्रस्त विभाग से प्रस्तावित प्रस्ताव औद्योगिक परीक्षा (आपराटी)/समावेन प्रस्तुत किए गए हैं।
15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** - भारत सरकार, पर्यावरण, जल और जलवायु क्षतिकारि संवर्धन, नई दिल्ली की अधिनियम दिनांक 01/08/2018 को अनुसार सी ई आर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के द्वारा विभाग से जारी करती सिन्धुवाय विभाग प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है -

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
40.88	2%	0.81	Following activities at Neelby Government Primary School Village- Sattipara	
			Rain Water Harvesting System	0.75
			Running water facility for Toilets	0.10
			Total	0.85

16. **नदी गहराई का बीच** - नदी के घाट की गहराई औद्योगिक 225 मीटर एम खुदान - 180 मीटर है, जबकि खदान की नदी घाट से दूरी खुदान 13 मीटर है। घाटन की नदी घाट से दूरी नदी के घाट की गहराई का खुदान 10 क्षतिकार क्षेत्र वरिष्ठ। उपर, गहराई जल में नदी जल की खुदान 25 मीटर से 18 मीटर क्षतिकार प्रस्तावित किया जल प्रस्तावित है, जिसकी 2.536 वर्गमीटर क्षेत्र गहराई का बीच रखा गया है। इस प्रकार जल प्रस्तावित का जारी अधिनियम 4.84 (इंटरनेट क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है)।

17. जल प्रस्तावित से न्यूनतम गहरी से दूर गहराई का जारी अधिनियम द्वारा प्रस्तावित जल प्रस्तावित है।



18. पर्यावरणीय प्रस्तावित द्वारा 1.15 मीटर की गहराई तक प्रस्तावित की अनुमति जारी है। अनुमति प्रस्तावित प्रस्तावित से प्रस्तावित किए जाने वाले क्षेत्र की क्षतिकार 20 प्रस्तावित से न्यूनतम प्रस्तावित जल प्रस्तावित प्रस्तावित का प्रस्तावित जारी किया गया है। प्रस्तावित नदी जारी नदी से जल प्रस्तावित प्रस्तावित से प्रस्तावित 1 मीटर गहराई से क्षतिकार जल का प्रस्तावित प्रस्तावित की प्रस्तावित है।

6. वेतन समझौता हेतु प्रस्तावित करार पर वास्तव में प्रयत्न हेतु वही संघर्ष जलने के दिवस प्रति हजेरिया से कम से कम एक पत्राचार (पत्र) कोटेशन प्रणाली कार्यात्मक गठन हेतु मान्य कर, अनिष्ट विभाग से प्रस्तावित जानकारी प्रस्तुत की जाए। हेतु की कार्यात्मक गठन हेतु प्रयत्न में असफल किया जाए।
7. यदि पूर्व में प्रस्तावित करार पर असफल होना प्रत्यक्ष तौर पर कार्यवाही समाप्त कर निर्देशित कार्यवाही हेतु (सीईआरडी/ए.ए.) कार्यालय अथवा जिला स्तरीय कार्यवाही समाप्त कर निर्देशित कार्यवाही (सीईआरडी/ए.ए.) कार्यालय द्वारा कार्यवाही पर निर्देशित की गई हो, तो पूर्व में प्रस्तावित कार्यवाही की प्रति एवं निर्देशित कार्यवाही के प्रत्यक्ष में ही पूर्व कार्यवाही की जानकारी कोटेशन पर निर्देशित प्रस्तुत की जाए। साथ ही प्रयत्न में असफल निर्देशित की जानकारी कोटेशन पर निर्देशित प्रस्तुत की जाए।
8. यदि अग्रिम पूर्व से प्रस्तावित हो, तो दिनांक वर्षों से दिवस एवं प्रयत्न की कार्यात्मक कार्यवाही जानकारी अनिष्ट विभाग से प्रस्तावित करार पर प्रस्तुत की जाए।
9. भारत सरकार कार्यवाही पर और कार्यवाही निर्देशित गठन हेतु, नई दिल्ली के को.एन. दिनांक 01/05/2018 से अनुसार सीईआरडी (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
10. यदि निर्देशित एवं निर्देशित प्रयत्न की तदनुसार में हेतु के लेवल (Levels) जैसे कार्यवाही (Benchmark) के साथ आगामी गठन की कार्यवाही हेतु में अग्रिम प्रयत्न अनुसार कार्यवाही / कार्यात्मक (अग्रिम कोटेशन) पर निर्देशित प्रस्तुत किया जाए हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार यदि निर्देशित एवं निर्देशित प्रयत्न की तदनुसार में, कार्यालय के दिनांक 01/05/2020 तक कार्यात्मक हेतु निर्देशित किया गया।

(4) समिति की 324वीं बैठक दिनांक 28/05/2020

कार्यात्मक हेतु की साथ कार्यवाही, निर्देशित प्रतिनिधि तदनुसार हेतु। निर्देशित प्रयत्न द्वारा समिति के कार्य अनुसार किया गया कि निर्देशित कार्यवाही (निर्देशित कार्यवाही प्रस्ताव नहीं होने के कारण) से समिति के कार्यवाही में कार्यात्मक किया जाता होगा नहीं है। अतः प्रस्तावित कार्यवाही की दिनांक 01/05/2020 को निर्देशित बैठक में निर्देशित किया जाए।

समिति द्वारा निर्देशित प्रयत्न पर कार्यवाही से निर्देशित किया गया कि यदि निर्देशित एवं निर्देशित प्रयत्न की तदनुसार में, कार्यालय (अग्रिम कोटेशन) के साथ कार्यवाही बैठक दिनांक 01/05/2020 में कार्यात्मक हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस कार्यवाही प्रयत्न के प्रयत्न में प्रयत्न की जाए।

निर्देशित कार्यवाही को तदनुसार निर्देशित किया जाए।

8. वेतन की विवेक प्रस्ताव (डी-1) कार्यात्मक लेवल कार्यवाही, काम-कार्यात्मक, लक्ष्य-प्रस्ताव, जिला-सुरक्षा, कुछ वीक रायपुर, जिला-रायपुर (निर्देशित का नरती क्रमांक 1245)

निर्देशित कार्यवाही - कार्यात्मक - कार्यात्मक / सीई / कार्यात्मक / 1245/2020, दिनांक 08/03/2020।

में की गई कार्यवाही की जानकारी कोटेशन/आर.सी.ए. प्रस्तुत की जाए। साथ ही प्रस्तावक को अद्यतन विधि की अनुसार कोटेशन/आर.सी.ए. प्रस्तुत की जाए।

7. यदि अद्यतन पूर्व से सम्बन्धित है, तो विगत वर्ष में किए गए सम्बन्धित कार्यवाही/कार्य की जानकारी/समिति/विभाग से प्राप्तित तत्सम्बन्धित प्रस्तुत की जाए।

8. मादा संरक्षण, पर्यावरण, जन जीव आसपास परियोजना/समाज, नई दिल्ली के को.एन. दिनांक 01/02/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environmental Responsibility) से प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

9. यदि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में पत्र को संयुक्त (Survey) से भी जांचे-सर्वेक्षण (Survey) के साथ आसपास सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यवाही/कार्य सुनिश्चित जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन कोटेशन/आर.सी.ए. प्रस्तुत/आर.सी.ए. दिने) ज्ञान से सुनिश्चित किया जाए।

संयुक्त एवं निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. (अद्यतन) के आदेश दिनांक 23/08/2020 द्वारा प्रस्तुत/आर.सी.ए. से सुनिश्चित किया गया।

(ब) समिति की 324वीं बैठक दिनांक 28/05/2020

प्रस्तुत/आर.सी.ए. से भी जांचे-सर्वेक्षण (Survey) के साथ आसपास सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यवाही/कार्य सुनिश्चित जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन कोटेशन/आर.सी.ए. प्रस्तुत/आर.सी.ए. दिने) ज्ञान से सुनिश्चित किया जाए।

समिति द्वारा निम्नलिखित विभाग/विभाग/विभाग से निर्णय लिया गया कि यदि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में पत्र को संयुक्त (Survey) से भी जांचे-सर्वेक्षण (Survey) के साथ आसपास सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यवाही/कार्य सुनिश्चित जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन कोटेशन/आर.सी.ए. प्रस्तुत/आर.सी.ए. दिने) ज्ञान से सुनिश्चित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को खदान में सुनिश्चित किया जाए।

7. वेतन की विवरण मुद्रा (डी-2) सार्वजनिक क्षेत्र/समाज, पाम-समाज/समाज, उदारीय-प्रशासन, जिला-सुरक्षा, फुलनीय सार्वजनिक क्षेत्र/समाज, जिला-समाज (सर्विजनिक का नसीब क्रमांक 1248)

अभिजात/आवेदन - प्रस्तावक/समाज - एस.ई.ए.सी. /सी.ई.ए.सी. /एस.ई.ए.सी. / एस.ई.ए.सी. /2020, दिनांक 08/05/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित वेतन/समाज (सी.ई.ए.सी.) है। यह प्रस्ताव पाम-समाज/समाज, उदारीय-प्रशासन, जिला-सुरक्षा, फुलनीय सार्वजनिक क्षेत्र/समाज, जिला-समाज (सर्विजनिक का नसीब क्रमांक 1248) से प्राप्तित तत्सम्बन्धित प्रस्तुत/आर.सी.ए. से सुनिश्चित किया गया।

वेतन का विवरण -

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/06/2020

g. भारत सरकार अधिनियम एवं और अध्याय अधिनियम संख्याएं, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 21/08/2018 के अध्याय सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) से संबंधित प्रस्तुत किया गया।

h. यदि निर्देशक एवं परिपोषण प्रदाताओं को कठिन में रोल को बेसलाइन (Levels) जैसे कार्य समीक्षा (Surveyor) के साथ आगामी महीने को आयोजित बैठक में पर्यावरण संरक्षण सुसंगत जानकारी / संसाधन (अद्यतन फोटोग्राफस) सहित प्रस्तुतकरण दिवस जाने से निर्देशित किया जाए।

संबंधित एवं निर्देशक एवं परिपोषण प्रदाताओं को एक-दूसरे, समीक्षाओं को आयोजित दिनांक 23/08/2020 द्वारा प्रस्तुतकरण से सुविधा किया गया।

(क) समिति की 324वीं बैठक दिनांक 26/05/2020

प्रस्तुतकरण से संबंधित आलोचनात्मक, अविकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। परिपोषण प्रदाताओं द्वारा समिति में प्रस्तुत प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त पर्यावरण (अद्यतन फोटोग्राफस) प्राप्त नहीं होने के कारण, स-समिति के द्वारा बैठक में प्रस्तुतकरण दिवस आयोजित नहीं है। इस संबंध में निर्देशक समिति की दिनांक 03/08/2020 को आयोजित बैठक में विचार किया जाए।

समिति द्वारा विचार किया उपरोक्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि निर्देशक एवं परिपोषण प्रदाताओं को पर्यावरण (एन.एस.डी. / पर्यावरण (अद्यतन फोटोग्राफस) के साथ आयोजित बैठक दिनांक 04/08/2020 में प्रस्तुतकरण से निर्देशित किया जाए एवं इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूर से सुनिश्चित हो जाए।

परिपोषण प्रदाताओं को संबंधित सुविधा किया जाए।

h. मेसर्स श्री दिलीप कुमार गुप्ता (एच-1, कौरिया रोड, नई दिल्ली, पान-कौरिया, गढ़वाल व जिला-सुरगपुर), कार्ड नं. 7, गढ़वाल व जिला-कनीरघाट (संविनालय का नली क्रमांक 1251)

जी-नई दिल्ली आवेदन - पर्यावरण संख्या - 148803 / सी.ई.आर. / एम.ए.ए. / 148803 / 2020, दिनांक 12/03/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रोल कठिन (रील कठिन) है। यह प्रस्ताव पान-कौरिया, गढ़वाल व जिला-सुरगपुर स्थित काला क्रमांक 1008 गुरु जीव कोष 4 कोष में प्रस्तावित है। प्रस्तावित भूमिगत नदी से निकल पाना प्रस्तावित है। प्रस्ताव की आयोजित पर्यावरण संख्या-3234474 समीक्षा प्रारंभ है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020

समिति द्वारा प्रस्ताव की नली एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण कर पर्यावरण सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था -

1. प्रस्तावित काला कोष की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी से दूरी की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. यह प्रस्तावित से प्रस्तावित काला एवं प्रस्तावित काला की आयोजित तथा आयोजित नं. 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुण 25 मीटर का चिह्न काला, समिति से रोल काला को लेवेल (Levels) लेवल काला से प्रस्तावित कर

(ब) समिति की 32वीं बैठक दिनांक 28/05/2020

प्रस्तुतकरण हेतु की सूचीज उपरोक्त अधिलेख प्रसिद्धि कारिकाएं हेतु समिति द्वारा जारी प्रस्तुत उपरोक्त का अद्यतन एवं संशोधन करने पर निम्न विधि गई गई -

1. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** - वन उपकरण के अंतर्ग में वन विभाग कारिका का दिनांक 28/05/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **सिंचाई/सिंचाई** - कार्यलय कलेक्टर, जलियत कारिका के अंतर्ग अंतर्ग एवं अद्यतन एवं अद्यतन सिंचाई/सिंचाई का पत्रिका है।
3. **संरक्षण योजना** - राष्ट्रीय वन प्रस्तुत किया गया है, जो जलियत अधिकाड़ी, जिला-सुपुल के द्वारा अंशक 2344/समिति/2020 वैकुण्ठ दिनांक 08/08/2020 द्वारा अद्यतनित है।
4. **500 मीटर की परिधि में निम्न खदान** - कार्यलय कलेक्टर (जलियत कारिका), जिला-सुपुल के द्वारा अंशक 2617/समिति/2020 सुपुल दिनांक 04/08/2020 के अंतर्गत अद्यतन खदान में 500 मीटर की वीथ अद्यतनित अन्य दो खदानों की सूचीज किया है।
5. **200 मीटर की परिधि में निम्न सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** - कार्यलय कलेक्टर (जलियत कारिका), जिला-सुपुल के द्वारा अंशक 2618/समिति/अद्यतन/2019 सुपुल दिनांक 04/08/2020 द्वारा जारी अंतर्गत वन अद्यतन वन खदान में 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे अंतर्गत, मसुदा, गुन, वन, एनीकट एवं वन अद्यतन अदि अद्यतनित क्षेत्र विहित नहीं है।
6. **एन.डी.आई. का विवरण** - एन.डी.आई. कार्यलय कलेक्टर (जलियत कारिका), जिला-सुपुल के द्वारा अंशक 2622/सी.डी./रि.डी./सं.अद्यतन/2019 सुपुल दिनांक 18/08/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी जाति 2 एवं 3 है।
7. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** - कार्यलय कलेक्टर/अधिकारी, सुपुल अंतर्गत जिला-सुपुल के द्वारा अंशक / समिति/2020 सुपुल दिनांक 27/08/2020 का जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अद्यतन अद्यतन वन वन क्षेत्र की सूचीज से 6 कि.मी. की दूरी पर है।
8. **सिस्टीमट सर्वे रिपोर्ट** - भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलसंधु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिलेख दिनांक 28/07/2018 द्वारा विहित प्रमाण में सिस्टीमट सर्वे रिपोर्ट (Detailed Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. **सर्वेक्षण संरचनाओं की दूरी** - निम्नलिखित कारिकाएं सुपुल 340 मीटर, सुपुल कारिका 125 कि.मी. एवं अंतर्गत विभाग 2.0 कि.मी. की दूरी पर किया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.0 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 20.8 कि.मी. दूर है। सर्वेक्षण वन खदान में 1 कि.मी. की दूरी तक गुन/एनीकट निहित नहीं है।
10. **पारिस्थितीकीय/संरचनाओं संरचनाओं क्षेत्र** - पर्यावरण प्रशासक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा राष्ट्रीय राजमार्ग अंतर्गत अंतर्राज्य अंतर्गत निम्नलिखित वन द्वारा पत्रिका सिस्टीमट सर्वे रिपोर्ट, पारिस्थितीकीय

अनुसंधान क्षेत्र का प्रथम अनुसंधान क्षेत्र निम्न नहीं होने प्रस्तावित किया है।

11. खनन स्थल पर नदी की घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट की दूरी – अद्यतन अनुसार खनन स्थल पर नदी की घाट की चौड़ाई – अद्यतन 200 मीटर, न्यूनतम 100 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अद्यतन 500 मीटर न्यूनतम 500 मीटर चौड़ाई – अद्यतन 80-12 मीटर न्यूनतम 40 मीटर चौड़ाई रहे। खदान की नदी तट को अक्षिणी दिशा में से दूरी अद्यतन 20 मीटर न्यूनतम 10 मीटर है जबकि इसकी नदी तट से दूरी नदी की घाट की लंबाई को 10 अद्यतन होना चाहिए।
12. खदान स्थल पर रेत की चौड़ाई – अद्यतन अनुसार खनन पर रेत की चौड़ाई – 3-12 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1.1 मीटर चौड़ाई गई है। अनुसंधान सर्वेक्षण पर अनुसार खदान में माइनेरल रेत की मात्रा – 38,744 टन/वर्ष है। रेत खनन से प्रस्तावित खनन पर खनन में उपलब्ध रेत प्राप्त की जाये। खनन की लिए प्रस्तावित खनन पर 4 गडदे (Pits) स्थापित करके प्रस्तावित गहराई का मापन कर खनन विभाग से प्रस्तावित जानकारी प्राप्त की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 3.3 मीटर है। रेत की प्रस्तावित गहराई से उपलब्ध की प्रमाणित किया गया है।
13. पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति धरणी विवरण – इन खदान की पूर्ण में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
14. खदान क्षेत्र में रेत साठ के लेवल – 19 अनुसंधान से प्रस्तावित खनन पर प्रस्तावित खनन से अक्षिणी तथा अक्षरणीय में 100 मीटर की दूरी तक 25 मीटर तथा 25 मीटर की गिरावट दिशा में दिनांक 18/02/2020 को ले साठ के स्तर (Levels) लेवल एवं खनन विभाग से प्रस्तावित खनन पर्यावरण स्वीकृति जानकारी/प्रस्तावित प्रमाणित किया गया है।
15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – भारत सरकार पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के अधिनियम दिनांक 01/08/2018 के अनुसार कॉर्पोरेट (Corporate Environment Responsibility) से संबंधित लेखक विचार से जारी प्रस्तावित निम्नलिखित विस्तृत प्रमाणित प्रमाणित किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30	2%	0.60	Following activities at nearby Government Primary School Village- Amagara (Koraya)	
			Rain Water Harvesting System	0.38
			Plantation	0.05
			Distribution of books to students relating to conservation and	0.17

		protection enhancement	
		Total	0.89

10 नदी काईनिंग डीम - नदी के तट की चौड़ाई अव्यवस्थित 200 मीटर एवं न्यूनतम - 100 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट की दूरी न्यूनतम 10 मीटर है। खदान की नदी तट से दूरी नदी के तट की चौड़ाई का न्यूनतम 50 प्रतिशत होना चाहिए। इस काईनिंग खदान में नदी तट से न्यूनतम 20 मीटर से 10 मीटर होकर व्यवस्थित किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 1.874 हेक्टेयर पर काईनिंग डीम स्थापित है। इस प्रकार का व्यवस्थित काईनिंग करीब 3.81 हेक्टेयर डीम में किया जाना प्रस्तावित है।

11 वेत व्यवस्थित मैनुअल खिचि से एवं नहरों का कार्य सीधा द्वारा करवाया जाना प्रस्तावित है।

12 परिसीमन्त प्रस्तावक द्वारा 1.1 मीटर की नहरों तक व्यवस्थित की अनुमति मांगी है। अनुसूचित शाखात्मक संरचना में व्यवस्थित किए जाने वाले डीम की अवधि वेत पुनर्स्थापन संबंधी व्यवस्थित कार्य एवं टॉक्सिकी आकस्मिकी का सम्बन्ध नहीं किया गया है। न्यूनतम नदी छोटी नदी है तथा इसमें परिसीमन्त में शाखात्मक 1 मीटर नहरों से अवधि वेत का पुनर्स्थापन होने की सम्भावना है।

समिति द्वारा किया गया निम्नलिखित उपरोक्त सर्वसम्बन्धि से निम्नानुसार निर्णय किया गया -

1. आवंटित खदान (घास-कोरक) का संख्या 4 होना है। खदान की सीमा से 100 मीटर की दूरी में स्वीकृत/समाप्तित खदानों का कुल क्षेत्रफल 3 हेक्टेयर का तबले कम होने की अवधि यह खदान से-2 नहीं की गयी।

2. कुशाधीन कार्य - उपस्थित की खदान पर नदी तट का कुल 1,200 वर्ग मीटर - 100 वर्ग मीटर के पीछे तथा क्षेत्र 100 मीटर (आयु, लंबाई, क्षेत्र, अक्ष आदि) पीछे अक्ष करीब। इसकी अवधि कुल कार्य पर 300 वर्ग मीटर अक्ष कार्य।

3. परिसीमन्त प्रस्तावक से खदान डीम में आवधिक 1.5 वर्ग में विस्तृत तट व्यवस्थित (Stipulation Study) अवधि तबले वेत के पुनर्स्थापन (Replenishment) कराने की अवधि, यह व्यवस्थित कर नदी नदीतट, स्थानीय उपस्थित जीव एवं कुल क्षेत्र पर प्रभाव तथा नदी के तट की सुरक्षा पर वेत व्यवस्थित के अक्ष की गयी उपस्थित प्रभाव हो सके।

4. सीमा डीम की सतह का बेसलाइन डीम -

1. परिसीमन्त प्रस्तावक द्वारा व्यवस्थित के पूर्व खदान सीमा की सतह / नदी तट (बीच क्षेत्र) से 100 मीटर तक की क्षेत्र में नदी सतह के-सतह (Levels) का भी कार्य किया जाएगा। उपस्थित सभी नदी तट के सतह (Levels) को नदी तट न्यूनतम 20 मीटर की अवधि (Gap) में किया जाएगा।

2. वेत अक्ष की उपस्थित मानक के पूर्व (ग्रेड) सतह के अवधि सतह / तट में काईनिंग डीम क्षेत्र तथा डीम क्षेत्र की अवधि एवं उपस्थित में 100 मीटर तक तथा खदान सीमा के अक्ष / नदी तट (बीच क्षेत्र) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के-सतह (Levels) का भी पूर्व सिमन्तित किए सिमन्तित कर किया जाएगा।

2. पैर अखण्डन हेतु प्रस्तावित स्लब एवं प्रस्तावित स्लब के अंतर्द्वीप एक अंतराद्वीप में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुंथा 25 मीटर का किंड स्लैब, अंतराल में पैर स्लब के अंतराल Levels जैसे डिग में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किने जाएँ। इसमें अतिरिक्त खण्ड जैसे के बाहर / नहीं गए (गोले जैसे) में 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी स्लब के बाहर (Levelling) का भी कार्य किया जाये। ऐसा लेवलिंग Levels हेतु कम से कम 2 टगमेटेड बक माड (Compacted FBM structure) निर्धारित किने जाये। टेमासी वेग माड (FBM) में अरएन को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किने जाये। डिग पैर के टगमेटेड बक माड (FBM) को भी अतिरिक्त अन्य खनिज विभाग से प्रमाणिकता प्रदान फोटोग्राफ सहित जानकारी / प्रस्तावित प्रस्तुत किने जाये।
3. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 10 मीटर का नदी के बाह की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसमें अनुसार खदान के खुद क्षेत्र में अखण्डन किया जाय समय न हो तो जमाही बगल कर सबसे पर अतिरिक्त इसका अखण्डन नदीनिम खण्ड में अतिरिक्त कर हो कराया जाये। खदान के खण्ड क्षेत्र एवं अतिरिक्त क्षेत्र की सीमा पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रदान कर क्षेत्र किया जाये।
4. प्रस्तावित स्लब से निकलकर कुल बांध एपीकट पर जल कबूती खंडों की दूरी बांध/ जानकारी प्रस्तुत की जाये। कुल / एपीकट की दूरी खदान के अंतर्द्वीप में न्यूनतम 500 मीटर तक अंतराद्वीप में न्यूनतम 250 मीटर राजा बांध अंतराद्वीप है। यदि सीमा क्षेत्र अंतराद्वीप/नदीतट दूरी के अंतर किना हो, तो एपीकट अंतर पर खण्ड हेतु अतिरिक्त क्षेत्र एवं अखण्डन/न्यूनतम सबसे पर निर्दिष्ट कर, जमाका सीमा पर सीमांकन तथा नदीनिम खण्ड में इस बांध एपीकट किया जाये।
5. पैर अखण्डन हेतु प्रस्तावित स्लब पर खण्डन में एपीकट पैर की चौड़ाई खण्डों की लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक मटर (1m) बांधकर जमाही कार्याधिक नदीतट का बांध कर, खनिज विभाग से प्रमाणिकता जानकारी प्रस्तुत की जाये। पैर की अखण्डन एपीकट हेतु खण्डन भी प्रस्तुत किया जाये।
6. यदि पूर्व में अधिष्ठित स्लब पर खण्डन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण संरक्षण निदेश अधिष्ठित (एन.ई.आई.ए.ए.), पर्यावरण अधिकांश डिग नदीतट अधिष्ठित पर्यावरण निदेश अधिष्ठित (पी.ई.आई.ए.ए.), अतिरिक्त इस पर्यावरणीय अधिष्ठित हो गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय अधिष्ठित की प्रति एवं अधिष्ठित सर्त को पालन में ही नई कार्याधिकी को जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाये। खण्ड ही फोटोग्राफ की अखण्डन किती को जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाये।
7. यदि खदान पूर्व में अधिष्ठित है, तो डिग नदी में किने गए खण्डन की कार्याधिक नदीतट की जानकारी खनिज विभाग से अधिष्ठित कर कर प्रस्तुत की जाये।
8. भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का जो एन दिनांक 01/08/2018 के अनुसार सी.ई.आर (Corporate Environmental Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।
9. यदि निदेशक एवं पर्यावरण संरक्षण की खदान में पैर के लेवलिंग (Levels) जैसे जाने नदीतट (Surveyor) के साथ जमाही बांध की अधिष्ठित डिग में पर्यावरण संरक्षण न्यूनतम जानकारी / पर्यावरण (अखण्डन फोटोग्राफ) सहित अखण्डन/खण्ड किने जाये हेतु निर्दिष्ट किया जाये।

2. **विन्दाकिल/सीमाकिल** - कार्यलय कलेक्टर, जमिंदार शायरी में प्रथम प्रमाण एवं अनुसार यह खदान विन्दाकिल/सीमाकिल का अधिकार है।
3. **उत्खनन सीमा** - राष्ट्रीय प्रथम प्रमाण किल्ला गया है, जो जमिंदार जमिंदारी, जिला-सुरजपुर के प्रथम प्रमाण 2048/जमिंदार/2020 जमिंदार, सुरजपुर, जिला-05/03/2020 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** - कार्यलय कलेक्टर (जमिंदार शायरी), जिला-सुरजपुर के प्रथम प्रमाण 2048/जमिंदार/2020 सुरजपुर, जिला-05/03/2020 के अनुसार आवंटित खदान से 500 मीटर के भीतर, अतिरिक्त अन्य दो खदानों की संख्या किल्ला है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** - कार्यलय कलेक्टर (जमिंदार शायरी), जिला-सुरजपुर के प्रथम प्रमाण 2048/जमिंदार/2020 सुरजपुर, जिला-05/03/2020 द्वारा जारी प्रमाण एवं अनुसार जिला खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे सड़क, पुल, पूजा, मठ, एसीकट एवं अन्य आधुनिक अति प्रौद्योगिक क्षेत्र शामिल नहीं है।
6. **एल.जी.आई. का विवरण** - एल.जी.आई. कार्यलय कलेक्टर (जमिंदार शायरी), जिला-सुरजपुर के प्रथम प्रमाण 2472/जी.आई./दि.जी./प.ज.02/2019 सुरजपुर, जिला-18/02/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 3 वर्ष है।
7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** - गणतंत्राण, पार्लियामेंट, नए और जलजल भविष्य में सार्वजनिक सर्वे रिपोर्टों की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा निर्दिष्ट रूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Memo) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **पारंपरिक संरचनाओं की दूरी** - निकटतम खानडी प्रथम-परिवहन / सार्वजनिक 0.25 कि.मी. स्थूल सार्वजनिक 700 मीटर एवं अन्यथा प्रमाण 1.5 कि.मी. की दूरी पर किल्ला है। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 कि.मी. एवं राजमार्ग 0.4 कि.मी. दूर है। समस्त दो खदानों की 1 कि.मी. की दूरी तक गूला/एसीकट किल्ला नहीं है।
9. **कन विभाग का अनुमोदित प्रमाण पत्र** - कार्यलय कलेक्टर (जमिंदार शायरी) सुरजपुर उत्खनन जिला-सुरजपुर के प्रथम प्रमाण / जमिंदार/ 1822 सुरजपुर, जिला-27/08/2020 को जारी अनुमोदित प्रमाण एवं अनुसार अनुमोदित नूनि कन क्षेत्र की सीमा से 2 कि.मी. की दूरी पर है।
10. **पारिस्थितिकीय/पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र** - पर्यावरण प्रभावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में संवेदनशील सीमा राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, इन्डियन वन्यजीव निरक्षण क्षेत्र द्वारा घोषित डिस्ट्रिक्ट विलेज/टोप हिल, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र एवं राष्ट्रीय पारिस्थितिकीय क्षेत्र किल्ला नहीं अन्य अनुमोदित किल्ला है।
11. **खान पर नदी के घाट की सीमाएं एवं खदान की नदी तट से दूरी** - खान अनुमोदित खान खान पर नदी के घाट की सीमाएं - अधिकतम 210 मीटर, न्यूनतम 180 मीटर तथा खान खान की सीमाएं - अधिकतम 254 मीटर, न्यूनतम 248 मीटर, सीमाएं - अधिकतम 89.77 मीटर, न्यूनतम 84 मीटर

17. परिशिष्ट-क प्रस्तावक द्वारा 1.15 मीटर तक गहराई तक वाहनन की अनुमति नहीं है। अनुमति प्राप्त वाहनन योजना में वाहनन सिद्ध करने वाले क्षेत्र की अधिक से अधिक गहराई अत्यधिक नहीं होनी चाहिए तथा वाहनन की गहराई का सम्बन्ध नहीं किया गया है। स्थल नहीं छोड़ी नहीं है तथा इसमें वाहनन के सम्बन्धित 1 मीटर गहराई में अधिक से अधिक होने की व्यवस्था है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपर्युक्त सर्वसम्पत्ति के निम्नानुसार निर्णय किया गया -

1. आवंटित स्थान (घरम-बागीचा) का एररर 4.96 हेक्टेयर है। स्थान की सीमा से 300 मीटर की दूरी में स्वीकृत/संश्लिष्ट वाहनन का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने की व्यवस्था यह स्थान की-2 क्षेत्र की नहीं होगी।
2. **पुनारोपण कार्य** - उपर्युक्त के अन्तर्गत 49 मीटर लंबाई पर कुल 1,800 मग पौधे - 150 मग अर्जुन के पौधे तथा शेष 1650 मग जामुन, जलर, कक, आम आदि पौधे लगाने जायेंगे। इसके अतिरिक्त पौधे कार्य पर 500 मग पौधे जमाए जायेंगे।
3. परिशिष्ट-क प्रस्तावक से स्थान क्षेत्र में आयुषी 1.5 वर्ष में विस्तृत गड्ड अन्वेषण (Excavation Study) करायेंगे, ताकि सेत के पुनर्गण (Replenishment) करवा गयी जायेंगे, जो वाहनन का गड्ड, नदीतल, आसीय उपर्युक्त क्षेत्र एवं कुल क्षेत्र पर प्रभाव पड्ड नहीं हो सके। पुनर्गण पर सेत अन्वेषण की प्रभाव की गयी जायेंगी। कार्य हो सके।
4. **सीक क्षेत्र की गहराई का रेकार्डिंग कार्य** -
 - I. परिशिष्ट-क प्रस्तावक द्वारा अन्वेषण की पूर्ण अन्वेषण क्षेत्र का गहराई / गडी लंबाई दिशा क्षेत्र से 100 मीटर तक के क्षेत्र में गडी लंबाई के साथ (Levels) का भी करे किया जायेंगे। उपर्युक्त गडी गडी लंबाई के साथ (Levels) का भी 25 मग 25 मीटर के अन्तर (Interval) में किया जायेंगा।
 - II. सेत अन्वेषण की अन्वेषण मापक की पूर्ण (गड्ड-कक के अन्तर्गत/गुन) में गडीनिर्णय सीक क्षेत्र एवं क्षेत्र क्षेत्र के अन्वेषण एवं अन्वेषण से 100 मीटर तक तथा अन्वेषण क्षेत्र के गहराई / गडी लंबाई दिशा क्षेत्र से 100 मीटर तक के क्षेत्र में गडी लंबाई के साथ (Levels) का भी पूर्ण निर्धारित किए विन्दुओं पर किया जायेंगे।
 - III. इसी प्रकार गड्ड-मापक से दिए अन्वेषण कार्य करने के पूर्ण गड्ड अन्वेषण इसी किए विन्दुओं पर सेत लंबाई के क्षेत्र (Levels) पर मापन किया जायेंगा।
 - IV. सेत लंबाई के पूर्ण निर्धारित किए विन्दुओं पर सेत लंबाई के क्षेत्र (Levels) की मापन का कार्य आयुषी 3 वर्ष तक निर्धारित किया जायेंगा। गड्ड-मापक के आयुषी दिनांक 2020, 2021, 2022 तक ही-मापक की आयुषी अन्तर 2020, 2021, 2022 तक निर्धारित रूप से एररर-अररर, अन्वेषण के प्रस्तुत किए जायेंगे।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपर्युक्त सर्वसम्पत्ति की भी अन्वेषण किए जायेंगे सी-2 क्षेत्र-3 क्षेत्र गडीनिर्णय, अन्तर अन्वेषण से, घरम-बागीचा, आसीय-अन्वेषण, विद्या-अन्वेषण, कुल क्षेत्र क्षेत्रफल 4.96 हेक्टेयर क्षेत्र में सेत अन्वेषण अन्वेषण 1 मीटर की गहराई तक निर्धारित लंबाई एवं गड्ड 40000 मग/हेक्टेयर अन्वेषण सेत अन्वेषण सेत परिशिष्ट-क में निर्धारित गडी के अन्तर्गत अन्वेषण

समुद्रतल 500 मीटर तथा क्राउनस्ट्रीम में समुद्रतल 250 मीटर तक जाने आवश्यक है। यदि लीव ड्रम (सर्वोच्चसमुद्र) द्वीप को अलग किया जा, तो उपरोक्त उद्योग पर खतरा हेतु परीक्षित क्षेत्र को प्राथम्यतापूर्वक खोजी पर विनियम बना, प्रस्ताव भेजे पर दोषाचार तथा माइनिंग कानून में इस बाबत समझौता किया जाए।

5. रेल उपकरण हेतु असावधि खोज पर वर्तमान में असावधि रेल की भंडाई जमाने की विधि पूरी क्लियर है। इन के अलावा एक नया (नये) खोजकन जमाती वास्तविक भंडाई का भाग बन, खनिज विभाग से असावधि जमानेकी प्रस्तुत की जाए। रेल की वास्तविक भंडाई हेतु प्राथम्यता भी प्रस्तुत किया जाये।
6. यदि पूर्व में असावधि खोज पर खतरा हेतु राज्य एवं प्रांतवलय स्वतंत्रता मिशन परीक्षण (एन.ई.आई.ए.ए.) परीक्षणक असावधि खोज असावधि परीक्षण समाप्त मिशन परीक्षण (सी.ई.आई.ए.ए.) परीक्षणक द्वारा परीक्षणकी खोजकी ही नई हो, तो पूर्व में जारी परीक्षणकी खोजकी की यदि एन.ई.आई.ए.ए.ए. की प्राथम्यता में ही नई परीक्षणकी की जासकती खोजीगला असावधि प्रस्तुत की जाए। साथ ही क्राउनस्ट्रीम की असावधि खोजकी परीक्षणक सहित प्रस्तुत की जाए।
7. यदि खतरा पूर्व से समाप्तित है, तो खतरा नहीं है कि एन.ई.आई.ए.ए.ए. की वास्तविक खोज की जासकती खनिज विभाग से असावधि बना बन प्रस्तुत की जाए।
8. भारत सरकार, परीक्षण, एवं और खोजकन परीक्षण कानून, नई दिल्ली के अंतर्गत विभाग 21/28/2018 के अनुसार सी.ई.आई.ए.ए. (Corporate Environmental Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
9. यदि निदेशक एवं परीक्षणक प्रस्तावक को खतरा है रेल के खतरा (Lowest) जैसे वाले खोजक (Miner) के साथ असावधि खोज की असावधि खोज में परीक्षण समाप्त सुझाव जासकती / असावधि (असावधि खोजीगला) सहित प्रस्तुतकनन दिए जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

असावधि खोजी निदेशक एवं परीक्षणक प्रस्तावक को एन.ई.आई.ए.ए. परीक्षणक के अंतर्गत विभाग 21/28/2018 द्वारा प्रस्तुतकनन हेतु सुचित किया गया।

(ख) समिति की 324वीं बैठक दिनांक 28/08/2020

असावधिखतरा हेतु भी समाप्तित कि, असावधिखतरा असावधि खतरा समिति द्वारा खोजी प्रस्तुत जासकती का असावधिखतरा एवं परीक्षण कानून पर विनियम भेजे गईं हैं—

1. खतरा परीक्षणक का असावधिखतरा प्रस्ताव 133 – रेल उपकरण के खतरा में एन.ई.आई.ए.ए.ए. के विभाग 21/28/2018 का असावधिखतरा प्रस्ताव 133 प्रस्तुत किया गया है।
2. विनियमित/खोजकित – असावधिखतरा खोजकित खतरा के खतरा प्रस्ताव पर असावधिखतरा/खोजकित कर प्रस्तावित है।
3. असावधिखतरा खोजकित – असावधिखतरा प्रस्ताव किया गया है, जो खनिज असावधि, खनिज खतरा/खोजकित के असावधि असावधि 2020/खनिज/2020 खनिज, असावधिखतरा दिनांक 05/08/2020 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परीक्षण की विनियम खतरा – असावधिखतरा खोजकित (खनिज खतरा) खनिज-खनिज के असावधि असावधि 2018/खनिज/2020 असावधिखतरा दिनांक

04/03/2020 की अनुसार आवेदन खदान में 500 मीटर की सीमा अवशिष्ट अन्य वेग खदानों की संख्या निम्न है।

6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/सरकारएं - सार्वजनिक क्षेत्र/सरकार (अनियत शर्तों) जिला-सुनारपुर के ग्राम अन्वय 2613/अनियत/2020 सुनारपुर, जिला 04/03/2020 द्वारा जारी अन्वय 03 अनुसार प्राप्त खदान की 200 मीटर की परिधि में खंडों की सार्वजनिक क्षेत्र (सी) अवधारणा, सड़क, पुल, बंध, एनर्जेट टन जैसे अच्युत अर्थात् प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. एल.जी.आई. का विवरण - एल.जी.आई. अवधारणा अवधारणा (अनियत शर्तों) जिला-सुनारपुर के ग्राम अन्वय 2618/सी.एन.ए. / जिला / म.अ.ए. / 2018 सुनारपुर, जिला 18/02/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 02 वर्ष 00 माह है।
8. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - भारत सरकार, जयपुर, एन.जी.एस.ए.ए. परिधान अवधारणा, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07-2018 द्वारा विहित अन्वय 8 डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की धार प्रमाण की गई है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आवासीय इलाका-सीमा 0.48 कि.मी. सीमा, सड़क बनीपुर 1.5 कि.मी. एवं अन्वयगत आवासीय 3.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 21.8 कि.मी. एवं राज्य मार्ग 1.0 कि.मी. दूर है। एनर्जेट टन-खदान की 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनर्जेट स्थित नहीं है।
10. कन विधान का अनापत्ति इलाका पर - सार्वजनिक अन्वयगत/सीमा, सुनारपुर अन्वयगत, जिला-सुनारपुर के ग्राम अन्वय / म.अ. / 1920 सुनारपुर, जिला 27/05/2020 को जारी अनापत्ति इलाका पर अन्वयगत आवेदन धूम का क्षेत्र की सीमा से 0.28 कि.मी. की दूरी पर है।
11. पारिस्थितिकीय/पारिस्थितिकता संबंधित क्षेत्र - पारिस्थितिक प्रभावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अन्वयगत/सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अन्वयगत, अन्वयगत अन्वयगत मिश्रण क्षेत्र द्वारा निर्मित पारिस्थितिक संरक्षित क्षेत्र पारिस्थितिकीय संबंधित क्षेत्र या पारिस्थितिकीय क्षेत्र स्थित नहीं है।
12. खदान स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट-की दूरी - आवेदन अनुसार खदान स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई - अधिकांश 250 मीटर, न्यूनतम 130 मीटर तथा खदान स्थल की नदी - अधिकांश 452 मीटर, न्यूनतम 215 मीटर चौड़ाई - अधिकांश 128.50 मीटर, न्यूनतम 108 मीटर चौड़ाई गई है। खदान की नदी तट के उत्तरी किनारे से दूरी अधिकांश 128 मीटर, न्यूनतम 8 मीटर एवं दक्षिणी किनारे से दूरी अधिकांश 28 मीटर, न्यूनतम 14 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से दूरी नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।
13. खदान स्थल पर रेत की चौड़ाई - आवेदन अनुसार खदान पर रेत की चौड़ाई - 3.18 मीटर तथा रेत खदान की अधिकांश चौड़ाई - 1.1 मीटर चौड़ाई गई है। अनुसंधित माइनिंग चार्ज अनुसार खदान में माइनिंग रेत की मात्रा - 85,829 टन/वर्ष है। रेत खदान से अनुसंधित खदान पर अधिकांश से अधिकांश रेत खदान की चौड़ाई खदान के लिए अधिकांश खदान पर 02 मीटर तथा अधिकांश अधिकांश

है। बाघन नदी द्वारा नदी है तथा इसकी खासियत में बाघननाथ १ मीटर गहराई में अधिक मात्रा में पुनःस्थापित होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्देश दिया गया -

1. कालिंदी बाघन नाल-बरीपुर) का लम्बा 4.98 हेक्टेयर है। बाघन की लीज में 500 मीटर की परिधि में सीकुर/समाहित उपकरणों का कुल क्षेत्रफल 3 हेक्टेयर का प्रस्ताव कम होने की कारण यह बाघन ही-2 पैनी की सगी-सुदी।
2. पुनःस्थापना कार्य - प्राथमिकता से बाघन 19 नदी पर जो कुल 1.200 मीटर लंबा - 500 मीटर चौड़ाई में सीकुर तथा 500 मीटर लंबा (उत्तम उपकरण, कम लागत आदि) सीकुर प्रस्ताव जावेगे। इसके अतिरिक्त कुल लम्बा 19 500 मीटर लंबाई प्रस्ताव जावेगे।
3. अतिरिक्त प्रस्तावक से बाघन क्षेत्र में आगामी 35 वर्षों में निरंतर बाघ प्रस्ताव (Sitation Study) बनानेगा, ताकि देश की पुनःस्थापना (Rehabilitation) नामक राष्ट्रीय बाघन सेन कार्यक्रम का नदी, नदीनाथ, स्थानीय प्रस्तावित, जैविक एवं सुखी बाघों पर प्रस्ताव तथा नदी के सगी की सुसंरक्षण पर सेन कार्यक्रम को प्रस्ताव की सगी प्रस्तावनी प्रस्ताव की सगी।
4. सीकुर क्षेत्र की सहायता का बेसलाईन कार्य -
 - I. अतिरिक्त प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित की पूर्ण लम्बा सीकुर के बाघ / नदी 50 (सीकुर क्षेत्र) में 100 मीटर तक से सगी में नदी सहायता की सगी (Levels) का भी सगी किया जावेगा। अतिरिक्त सगी नदी सहायता की सगी (Levels) का सगी 25 गुणा 25 मीटर के क्षेत्रफल (Area) में किया जावेगा।
 - II. सेन प्रस्ताव के अतिरिक्त बाघन क्षेत्र के पूर्ण (सीकुर क्षेत्र के अतिरिक्त सहायता / सुखी) में अतिरिक्त सीकुर क्षेत्र तथा सीकुर क्षेत्र के अतिरिक्त एवं अतिरिक्त में 100 मीटर तक लम्बा सहायता सीकुर के सहायता / नदी 50 (सीकुर क्षेत्र) में 100 मीटर तक की सगी में नदी सहायता की सगी (Levels) का सगी पूर्ण अतिरिक्त सिद्ध सिद्धों पर किया जावेगा।
 - III. इसी प्रस्ताव सहायता-बाघन क्षेत्र में (सीकुर प्रस्तावक द्वारा सगी के पूर्ण सहायता अतिरिक्त) इसी सिद्ध सिद्धों का सेन सहायता की सहायता (Levels) का प्रस्ताव किया जावेगा।
 - IV. सेन सहायता के पूर्ण अतिरिक्त सिद्ध सिद्धों का सेन सहायता की सहायता (Levels) के प्रस्ताव का कार्य आगामी 3 वर्षों तक निरंतर किया जावेगा। सहायता-बाघन क्षेत्र के अतिरिक्त सिद्ध 2020, 2021, 2022 एवं सगी-बाघन क्षेत्र के अतिरिक्त प्रस्ताव 2020, 2021, 2022 एवं अतिरिक्त सगी से सगी (आईएचए) अतिरिक्त की प्रस्तावित किए जावेगे।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से श्री-बाघन सिद्ध, ई-१ बरीपुर सहायता, सहायता, सहायता 1185, सहायता बरीपुर, सहायता-बाघन सिद्ध-बाघन क्षेत्र, कुल सीकुर क्षेत्रफल 4.98 हेक्टेयर में से सगी सहायता क्षेत्र 3.50 हेक्टेयर क्षेत्र तक सहायता पर 4.80 हेक्टेयर क्षेत्र में सेन प्रस्तावित अतिरिक्त 1 मीटर की गहराई तक सीकुर सहायता द्वारा कुल 48.800 वर्गमीटर परिधि सेन प्रस्तावित सेन परिधि 50-00 में सहायता सगी के अतिरिक्त सहायता सहायता सगी दिशा में 02 वर्षों तक की अतिरिक्त सेन सिद्ध करने की प्रस्तावित की सगी। सेन की सहायता सहायता प्रस्ताव (Manualy) की जावेगी। सहायता क्षेत्र (River Bed) में सगी

4. 500 मीटर की परिधि में निम्न खदान – सर्वोच्च कलक्टर (दैनिक खदान), जिला-सुनारपुर के द्वारा दिनांक 28/12/2019 के अनुसार आवंटित खदान में 500 मीटर की सीमा आवंटित अन्य इन खदानों की सीमा में एक है।
5. 200 मीटर की परिधि में निम्न सामंजसिक क्षेत्र/संरक्षणाए – सर्वोच्च कलक्टर (दैनिक खदान), जिला-सुनारपुर के द्वारा दिनांक 28/12/2019 द्वारा जारी प्रस्ताव एवं अनुसार तहत खदान की 200 मीटर की परिधि में कोई भी सामंजसिक क्षेत्र जैसे अनामल, सलुत, पुन, घरा, एनीकट एवं अन्य आधुनी आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्दिष्ट नहीं है।
6. एल.जी.आई. का विवरण – एल.जी.आई., सर्वोच्च कलक्टर (दैनिक खदान), जिला-सुनारपुर के द्वारा दिनांक 18/02/सी.आई./वि.आई./ए.ए.डी./2019 सुनारपुर, दिनांक 18/11/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी प्रती 2 वर्ष हेतु वैध है।
7. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट – भारत सरकार, पत्तोवला, जल और जलवायु परिवर्तन संवाहन, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा जिले के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. सतत्वपूर्ण संरक्षणाओं की दूरी – निम्नलिखित आबादी घन-कलक्टर 0.85 कि.मी., सलुत कागीपुर 0.85 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। एल.जी.आई. 32 कि.मी. दूर है। एनीकट खदान में 100 मीटर की दूरी का डायमिटर में स्थित है।
9. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संरक्षणाधीन क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की त्रिभुज में अंतर्जातीय सीमा राष्ट्रीय खदान, अनामल, अनामल अनुसंधान विभाग कोट द्वारा घोषित डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया, पारिस्थितिकीय संरक्षणाधीन क्षेत्र का निर्दिष्ट जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।
10. खानम स्थल पर नदी की घाट की सीमाएँ एवं खदान की नदी तट की दूरी – आवंटन अनुसार खानम स्थल पर नदी की घाट की सीमाएँ – अधिकतम 1,000 मीटर, न्यूनतम 500 मीटर तथा खानम स्थल की सीमाएँ – 300 मीटर, अधिकतम सीमाएँ – 100 मीटर सीमाएँ हैं। खदान की नदी तट की दूरी 30 मीटर है, जबकि दूसरी नदी तट से दूरी नदी के घाट की सीमाएँ का 10 प्रतिशत होना चाहिए।
11. खदान स्थल पर रेत की सीमाएँ – आवंटन अनुसार स्थल पर रेत की सीमाएँ – 1 मीटर तथा रेत खानम की प्रस्तावित सीमाएँ – 1 मीटर सीमाएँ हैं। अनुसंधान माइनिंग जल अनुसार खदान में सतत्वपूर्ण रेत की मात्रा – 47,000 घनमीटर है। रेत खदान से प्राप्त रेत स्थल पर खानम में उपयोग के लिए रेत की सीमाएँ जलों के लिए इस्तेमाल स्थल पर 1 मीटर तथा खानम जलवायु सामंजसिक सीमाएँ का खानम का दैनिक खानम से प्रस्तावित खानम में 1000 की गई है। इससे अनुसार रेत की उपयोग सीमाएँ 1.5 मीटर है। रेत की अंतर्जातीय सीमाएँ हेतु परमाणु की प्रस्तुत किया गया है।
12. खदान क्षेत्र में रेत खान की सीमाएँ – रेत खानम हेतु प्रस्तावित स्थल एवं आवंटित स्थल में आस्ट्रीम तथा डायमिटर में 100 मीटर की दूरी तथा 20 मीटर गुण 25 मीटर के लिए डिस्ट्रिक्ट का दिनांक 22/02/2020 को रेत खान

के वर्तमान लेवल पर Levee सेक्टर एवं बाँधों के निर्माण किया हो प्रत्याशित है।

13. पूर्व में अतिरिक्त खाने पाने के लिए 1000 करोड़ रुपये परियोजना समर्थन निधि से प्राप्ति (एन.ई.आई.एन.ई.) अतिरिक्त अथवा बिना अतिरिक्त समर्थन निधि से प्राप्ति (सी.ई.आई.एन.ई.) अतिरिक्त द्वारा परियोजना की पूर्ति के लिए, पूर्व में जारी परियोजना की पूर्ति के लिए एवं अतिरिक्त जारी के कारण से जो नई परियोजना की आवश्यकता प्रकृत नहीं की गई है।

14. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - भारत सरकार, परियोजना एवं और अनेक परिशिष्ट नगरपाल, नई दिल्ली के अधिनियम दिनांक 01/08/2008 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) को धारण के लिए निर्धारित है। यह अनेक निम्नलिखित प्रकार प्रकृत किया गया है -

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
24.85	2%	0.49	Following activities of Nearby Government Primary School Village-Kantipur	
			Run Water Harvesting System	0.20
			Running water facility for Toilets	0.29
			Total	0.49

समिति द्वारा पर्यावरण प्रभाव के निर्धारित किया गया कि अनेक निर्माण के कारणों सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का निर्माण प्रस्ताव एक माह में प्रकृत किया जाए।

15. नदी बाँध निर्माण क्षेत्र -

1. अनेक नदी बाँधों की नदी के किनारे की दूरी 30 मीटर है। बाँध निर्माण क्षेत्र के अनुसार नदी तट के किनारे की 100 मीटर सीमा अनेक अनेक प्रकार के प्रकार है, जिसमें नदी बाँध निर्माण क्षेत्र का पर्याप्त नहीं किया गया है। अनेक नदी बाँध निर्माण के अनुसार नदी तट की सुरक्षा 30 मीटर अथवा नदी से तट की सीमा के 10 प्रतिशत दूरी तट के क्षेत्र में अनेक नदी बाँध का अनेक। अनेक अनेक क्षेत्र की नदी तट की दूरी नदी की सीमा के अनुसार 100 मीटर सीमा नदी बाँध निर्माण क्षेत्र की सुरक्षा प्रकृत किया अनेक अनेक है।

एन.ई.आई.एन.ई. के अनुसार नदी तट 100 मीटर की दूरी पर किया है। नदी बाँध निर्माण अनुसार नदी के अनेक नदी तट में अनेक नदी तट 200 मीटर सीमा अनेक अनेक है। अतिरिक्त 30 मीटर अथवा नदी नदी बाँध निर्माण क्षेत्र निर्माण का अनेक प्रकृत किया अनेक अनेक है।

1. असावधान बालक खेल की सीमाई एवं बीसाई एक नदी की तट की सीमाई की जागरूकी प्रस्तुत की जाए।
2. रेल वास्तव्यन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के असावधान बालक वास्तव्यन में 100 मीटर की दूरी तक 25 मीटर गुण 25 मीटर 25 मीटर असावधान बालक, वर्तमान में रेल तट की जागरूकी Levels जलन दिवस में प्रस्तावित बालक प्रस्तुत किए जाएं। इसके अतिरिक्त बालक खेल के प्रसा 7 मीटर 25 मीटर (बालक खेल) के 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी तट के सीमाई (Levels) का भी कभी किया जाए। नदी जागरूकी Levels हेतु कम से कम 2 टोपराही रेल-साई (Concrete TBM structure) निर्धारित किए जाएं। टोपराही रेल साई (TBM) में सावधान, को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किए जाएं। दिवस में टोपराही रेल साई (TBM) को भी वर्तमान बालक अतिरिक्त विभाग में प्रस्तावित बालक असावधान बालक असावधान बालक जागरूकी / जागरूकी प्रस्तुत किए जाएं।
3. नदीतट से बालक खेल की सीमाई की दूरी न्यूनतम 10 मीटर का नदी की तट की सीमाई का 50 प्रतिशत (अर्ध) की अतिरिक्त भी रखी जानी है। यदि इसके अनुसार बालक खेल की दूरी बालक खेल में बालक खेल किया जाना बालक खेल में ही ही बालक खेल बालक खेल साई का असावधान बालक बालक खेल में अतिरिक्त बालक खेल के बालक खेल जाएं। बालक खेल की बालक खेल एवं अतिरिक्त बालक खेल की साई का अतिरिक्त विभाग में बालक खेल असावधान बालक खेल एवं बालक खेल किए जाएं।
4. असावधान बालक खेल की निर्धारित गुण, बालक खेल, एसीकट एवं बालक खेल की दूरी बालक जागरूकी प्रस्तुत की जाए। गुण / एसीकट की दूरी बालक खेल असावधान में न्यूनतम 500 मीटर तथा बालक खेल में न्यूनतम 250 मीटर बालक खेल असावधान है। यदि बालक खेल असावधान नदी की अतिरिक्त विभाग में ही बालक खेल बालक खेल एवं बालक खेल हेतु अतिरिक्त बालक खेल असावधान बालक खेल में ही बालक खेल असावधान बालक खेल की बालक खेल एवं बालक खेल एवं बालक खेल किए जाएं।
5. रेल वास्तव्यन हेतु प्रस्तावित स्थल का बालक खेल में बालक खेल रेल की साईई बालक खेल की दिवस अतिरिक्त में बालक खेल एवं बालक खेल (अर्ध) असावधान बालक खेल असावधान बालक खेल का बालक खेल अतिरिक्त विभाग में असावधान बालक खेल प्रस्तुत की जाए। भी की बालक खेल असावधान हेतु बालक खेल की प्रस्तुत किए जाएं।
6. यदि बालक खेल में असावधान बालक खेल एवं बालक खेल बालक खेल बालक खेल निर्धारित बालक खेल (एन.ई.आई.ए.ए.), बालक खेल असावधान बालक खेल असावधान बालक खेल निर्धारित बालक खेल (एन.ई.आई.ए.ए.) असावधान बालक खेल बालक खेल असावधान की बालक खेल की दूरी में असावधान बालक खेल की अतिरिक्त बालक खेल के बालक खेल के भी बालक खेल की बालक खेल असावधान बालक खेल प्रस्तुत की जाए। बालक खेल की बालक खेल की असावधान बालक खेल असावधान बालक खेल प्रस्तुत की जाएं।
7. यदि बालक खेल की असावधान है, तो बालक खेल में बालक खेल बालक खेल की बालक खेल बालक खेल की जागरूकी अतिरिक्त विभाग में असावधान बालक खेल एवं बालक खेल की जाएं।
8. बालक खेल बालक खेल, बालक खेल एवं बालक खेल बालक खेल बालक खेल बालक खेल की बालक खेल, निर्धारित 01/05/2018 के अनुसार बी.ई.आर. (Corporate Environmental Responsibility) हेतु बालक खेल प्रस्तुत किए जाएं।

3. जमि निर्दिष्टता एवं परिष्कारण प्रस्तावक को प्रदान में देते ही लेवलिंग (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) की सेवा अगामी चरण की आवश्यकता दिनांक में आवश्यक समस्त सुदृढता जानकारी / प्रस्तावक को प्रदान कर देना होगा। उचित अनुवीक्षणण दिने जमि हेतु निर्दिष्ट विषय आए।

सद्वानुसार जमि निर्दिष्टता एवं परिष्कारण प्रस्तावक को एच.ई.एच.सी, अलीपुरा के द्वारा दिनांक 28/05/2020 द्वारा अनुवीक्षणण हेतु सूचित किया गया।

(ब) सविधि की 324वीं बंदाक दिनांक 28/05/2020:

अनुवीक्षणण हेतु की सुचीत सुचारु रूप, अतीवृत्त प्रविष्टि उपस्थित हुए। सविधि द्वारा सभी प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न विधि लागू हुई-

1. जमि पंचायत का अनुसूचित प्रमाण पत्र - वेदा अनुसूचित को जमि में जमि पंचायत जारी का दिनांक 02/08/2018 का अनुसूचित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. विनाशित/सीमांकित - कार्यालय कार्यालय, सविधि द्वारा वेदा प्रमाण पत्र अनुसूचित का प्रदान विनाशित/सीमांकित कर प्रेषित है।
3. संरक्षणन योजना - सविधि प्रदान प्रस्तुत किया गया है, जो एच.ई.एच.सी, जमि पंचायत, जिला-कोरवा के द्वारा अंकित 881-02/सविधि-8/2020 जारी, दिनांक 08/08/2020 द्वारा अनुसूचित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कार्यालय (सविधि द्वारा), जिला-कोरवा के द्वारा अंकित 798/सविधि-03/वेदा नौ (सविधि) नं.क. 18/2018 जारी, दिनांक 08/08/2020 के अनुसार आवधिक खदान से 500 मीटर की सीमा अवधिगत अन्य वेदा खदानों की संख्या निकल है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरक्षणन - कार्यालय कार्यालय (सविधि द्वारा), जिला-कोरवा के द्वारा अंकित 798/सविधि-03/वेदा नौ (सविधि) नं.क. 18/2018 जारी, दिनांक 08/08/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार वेदा खदान से 200 मीटर की परिधि में खड़े-सी सार्वजनिक क्षेत्र वेदा अनुसूचित, स्कूल, पुल, बांध, एच.ई.एच.सी एवं जमि अनुसूचित जमि प्रविष्टिगत क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एच.ई.एच.सी का विवरण - एच.ई.एच.सी, कार्यालय कार्यालय (सविधि द्वारा), जिला-कोरवा के द्वारा अंकित 88/सविधि-02/वेदा नौ (सविधि) नं.क. 18/2018 जारी, दिनांक 28/05/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 3 एवं हेतु वेदा है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - भारत सरकार पर्यवेक्षण, जमि और जलसंधि परिष्कारण संस्थान, नई दिल्ली की अधिकृत दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रमाण में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. सड़कपथी संरक्षणन की दूरी - डिस्ट्रीक्ट कार्यालय जमि-कोरवा 0.32 कि.मी., स्कूल जमि-कोरवा 0.42 कि.मी. एवं जलसंधि पोली-कोरवा 3 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 23 कि.मी. दूर है। अतीवृत्त वेदा खदान से 4 कि.मी. की दूरी तक पुल, एच.ई.एच.सी निर्मित नहीं है।

10. खदान स्थल पर नदी के पार की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट की दूरी - आवंटन अनुसूची खनन स्थल पर नदी के पार की चौड़ाई - अधिकतम 500 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई - 100 मीटर, अधिकतम चौड़ाई - 125 मीटर धारण की गई है। खदान की नदी तट की दूरी 130 मीटर है।

11. खदान स्थल पर रेत की मोटाई - आवंटन अनुसूची खनन पर रेत की मोटाई - 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित मोटाई - 2 मीटर धारण की गई है। अनुवीक्षित माइनिंग प्लान अनुसार खदान में संचयित रेत की मात्रा - 1,00,000 घनमीटर है। रेत उपखनन हेतु प्रस्तावित खनन पर खनन में वास्तविक रेत संचय की मोटाई खनन के लिए प्रस्तावित खनन पर 4 मीटर प्रकृत स्थितता पर उचित कार्यात्मक सहायता का खनन एवं खनिज विभाग से प्रस्तावित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपखनन जोखिम मोटाई 3 मीटर है। रेत की वार्षिक मोटाई हेतु खननार्थी प्रस्तुत किया गया है।

12. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण -

1. पूर्व में खनिज खनन परमादेश अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत खनन परमादेश क्रमांक 1268/आयनन-4/खनिज/अनुसूची-04/00/परमिटर अधिनियम हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समायोजन निवेदन अधिनियम, दिल्ली-राज्य द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 23/08/2018 को प्राप्त जारी दिनांक में 2 वर्ष तक की जारी हेतु जारी की गयी थी।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के अंतर्गत खनन में की गई खानेपानी की जांचकारी प्रस्तुत की गई है। यह आवंटन निवेदन प्रस्तुत नहीं की गई।
3. राष्ट्रीय पर्यावरण (खनिज खनन), दिल्ली-राज्य को प्राप्त अनुसूची 1417/खनिज/रेत की (खनन)/न.अ.15/2018 संख्या, दिनांक 08/08/2020 को अनुसार वर्ष 2018-19 में 34,500 घनमीटर, 2017-18 में 40,500 घनमीटर, 2018-19 में 54,500 घनमीटर एवं 2019-20 में जिला पर्यावरण प्रकृत किया गया है।
4. निवेदन पर्यावरण प्रशासक नहीं किया गया है।

13. खदान क्षेत्र में रेत संचय की व्यवस्था - रेत उपखनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रस्तावित स्थल के आसपास तथा आसपास में 100 मीटर की दूरी तक 25 मीटर गूना 20 मीटर के चिह्न सिन्धुओं पर दिनांक 08/08/2020 को रेत संचय की व्यवस्था (Levelling) लेकर, उचित खनिज विभाग से पर्याप्ततम खनन पर्यावरण सहीत जानकारी/परमादेश प्रस्तुत किया गया है।

14. कोर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - भारत सरकार, पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन विभाग, नई दिल्ली के अधिनियम दिनांक 01/08/2018 को अनुसूची सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु खनिज के संबंध में जारी खनन निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)

			Rupiah)	
44.52	3%	0.69	Following activities at Nearby Government School Village- Tarda	
			Rain Water Harvesting System	0.70
			Plantation	0.30
			Total	0.90

संविधि द्वारा परिधीयता प्रस्तावक को निर्दिष्ट किया गया है। अन्य निर्धारण के अंतर्गत सी ई आर (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक पृष्ठ में उपलब्ध किया जाए।

15. का उपखनन अनुमति पत्रों से एवं भराई का कार्य संकर द्वारा अलग-अलग प्रस्तावित है।

16. परिधीयता प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उपखनन की अनुमति नहीं है। अनुमति प्राप्त उपखनन योजना में उपखनन किए जाने वाले क्षेत्र की दक्षिण का पुनर्स्थापन संबंधी अध्ययन कार्य एवं आवश्यकता अनुसार का प्रस्तावना नहीं किया गया है। इलाहाबाद नदी बड़ी नहीं है तथा इससे अंतर्गत में समान्यतः 1.5 मीटर गहराई के अधिक क्षेत्र का पुनर्स्थापन होने की सम्भावना है।

संविधि द्वारा विचार विमर्श अंतर्गत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया -

1. आवेदित उपखनन (शाम-संध्या) का गहराई 2 इंचों तक है। उपखनन की गहराई 100 मीटर की परिधि में सीमित/संश्लेषित उपखनन का कुल संयोजन 2 इंचों तक या उससे कम होने के कारण यह उपखनन सी-2 श्रेणी की गयी गयी।

2. **भूस्तरांतरण कार्य** - उपखनन का अंतराल पर नहीं बढ़ाए जाये 2,000 म्म गहराई - 1,000 का ऊर्ध्व से नीचे तथा क्षेत्र 1,000 म्म (ऊर्ध्व) क्षेत्र का क्षेत्र (ऊर्ध्व) क्षेत्र अंतराल (ऊर्ध्व)। इसके अतिरिक्त कुल क्षेत्र पर 200 म्म गहराई अंतराल (ऊर्ध्व)।

3. परिधीयता प्रस्तावक का उपखनन क्षेत्र में अंतराल 1.5 वर्ष में निम्नलिखित माह अध्ययन (Investment Study) अंतराल। ताकि क्षेत्र की पुनर्स्थापना (Rehabilitation) कार्य सही ढंग से, का उपखनन का नदी, नदीगत, अंतराल अंतराल, क्षेत्र का कुल क्षेत्र पर अंतराल अंतराल नदी के क्षेत्रों की पुनर्स्थापना का का उपखनन के अंतराल की सही पुनर्स्थापना कार्य हो सके।

4. **क्षेत्र क्षेत्र की सतह का नैसर्गिक कार्य** -

1. परिधीयता प्रस्तावक द्वारा उपखनन के पूर्व समान क्षेत्र की सतह / सतह पर (दोनों क्षेत्रों) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी कार्य किया जाएगा। उपखनन सभी सतह सतह के स्तर (Levels) का स्तर 25 गुण 25 मीटर की अंतराल (Dist) में किया जाएगा।

2. का क्षेत्र के अंतराल अंतराल के पूर्व (पूर्व) माह के अंतराल अंतराल/क्षेत्र में सतह क्षेत्र क्षेत्र तथा क्षेत्र क्षेत्र के अंतराल एवं अंतराल में 100 मीटर तक तथा क्षेत्र क्षेत्र की सतह / सतह पर (दोनों क्षेत्रों) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में सतह के स्तरों (Levels) का स्तर पूर्व निर्धारित क्षेत्र अंतराल का किया जाएगा।



अनुसंधित राष्ट्रीय पवन अनुसंधन केंद्रों में राष्ट्रीयकृत वेग की मात्रा - 25.000 प्रतिघण्टा है। वेग अनुसंधन हेतु प्रस्तावित स्थान पर वर्तमान में उपलब्ध वेग मात्रा की माप हेतु जानने के लिए प्रस्तावित स्थान पर 3 मटर (10) की गहराई पर राष्ट्रीय वास्तविक गहराई का मापन कर अधिक विभाग से प्रस्तावित जानकारी प्राप्त की गई है। इसकी अनुसार वेग की उपलब्ध औसत गहराई 3.15 मीटर है। वेग की वास्तविक गहराई हेतु मापन की प्रस्तुत विधि गद्य है।

12. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस केंद्रों की पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
13. केंद्रों क्षेत्र में वेग मात्रा की लेवल्स - वेग अनुसंधन हेतु प्रस्तावित स्थान पर प्रस्तावित स्थान की ऊंचाईस तथा अनुसंधान में 100 मीटर की पूर्व तथा 25 मीटर तथा 25 मीटर की दिशा दिशाओं पर दिनांक 06/02/2020 को वेग मात्रा की लेवल्स लेवल्स लेवल्स, उन्हें अधिक विभाग से पर्यावरणीय उपलब्ध जानकारी सहित जानकारी/प्रस्तावित प्राप्त किया गया है।
14. ऑथरिटेड पर्यावरणीय प्रभाव (C.E.R.) - भारत सरकार पर्यावरण एवं वन विभाग पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली के अधीन दिनांक 01/05/2018 की अनुसार गैर-आय (Corporate Environmental Responsibility) हेतु प्रस्तावित के लिए विवरण है उन्हें उपलब्ध विवरणों के अनुसार प्रस्तावित प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
75.50	2%	1.41	Following activities at Nearby Government Higher Secondary School Village Lafinkhand	
			Rain Water Harvesting System	1.53
			Plantation	0.05
			Total	1.58

15. वेग अनुसंधन हेतु प्रस्तावित विधि से पूर्व गहराई का माप लेवल्स द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।
16. नैसर्गिक पर्यावरण द्वारा 3 मीटर की गहराई तक अनुसंधन की अनुमति नहीं है। अनुसंधित अनुसंधन क्षेत्र में अनुसंधन विधि जारी वाले क्षेत्र की पर्यावरण अनुसंधन संबंधी उपलब्ध मापों पर अनुसंधित जानकारी का समाधान नहीं किया गया है। अनुसंधित क्षेत्र (नदी) छोटी नहीं है और इसमें पर्यावरण में अनुसंधित 1 मीटर गहराई से अधिक वेग का अनुसंधन क्षेत्र की अनुसंधित है।



समिति द्वारा विचार विमर्श उपलब्ध सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. अतिरिक्त अनुसंधन (वैश-अतिरिक्त) का मापन 5 डेसीमल है। अनुसंधन की सीमा 100 मीटर की पर्यावरण से पर्यावरण/प्रस्तावित अनुसंधन का अनुसंधित 5 डेसीमल का अनुसंधित अनुसंधन के अनुसार वेग अनुसंधन की-2 मीटर की नहीं करी।

58.25	2%	1.16	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Semariya	
			Rain Water Harvesting System	1.07
			Running water facility for Toilets	0.10
			Plantation	0.10
			Distribution of books to students relating to conservation and protection of environment	0.08
Total			1.35	

14. वेत संचयन मनुष्यसहित विधि से एवं नहरों का कार्य लंबाई द्वारा करके जाया प्रस्तावित है।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3 मीटर की गहराई तक संचयन की अनुमति नहीं है। अनुमोदित संचयन योजना में संचयन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं संबंधी खोजों का सम्बन्ध नहीं किया गया है। महानदी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपर्युक्त सर्वसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. अर्पणित खदान (ग्राम-सेमरिया) का गहराई 4.5 मीटर है। खदान की सीमा से 100 मीटर की परिधि में स्थित/संघनित खदानों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टर का अधिकतम कम होने की शर्त पर खदान की-2 खोज की गयी।
2. बुझाईकरण कार्य - प्राथमिकता के अन्तर्गत नदी तट पर कुल 1,500 मग पीछे - 750 मग अर्पणित की गयी तथा क्षेत्र 750 मग (जिसमें, कर्म, बंध, आग आदि) पीछे समाप्त करवाये। इसके अतिरिक्त शहुरे कार्य पर 500 मग पीछे समाप्त करवाये।
3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में लगभगी 1.5 वर्ष में विद्युत वाट अध्ययन (Investigation Study) करवाये, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) बाधित नहीं जायके, रेत संचयन का नदी, नदीतट, स्थानीय जनसंख्या, जल एवं सूखे जैसी का प्रभाव तथा नदी के जल की पुनर्भरण एवं रेत संचयन से प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
4. लीड क्षेत्र की खोज का बेसलाईन डेटा -
 - a. परियोजना प्रस्तावक द्वारा संचयन के पूर्व खनन लीड के बाहर / नदी तट (दीर्घ क्षेत्र) से 100 मीटर तक की क्षेत्र में नदी तट के सतरी (Levels) का भी सर्वे किया जायेगा। उपरोक्त सभी नदी तट के सतरी (Levels) का सर्वे 25 गुण 25 मीटर से अधिकतम (अन्त) में किया जायेगा।
 - b. वेत खनन के उपर्युक्त मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून) में साईनिंग लीड क्षेत्र तथा लीड क्षेत्र के अर्धस्थायी एवं प्रायमस्थायी में 100 मीटर तक तथा खनन लीड के बाहर / नदी तट (दीर्घ क्षेत्र) से 100 मीटर तक की क्षेत्र में नदी तट के सतरी (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित विधि विनियमों पर किया जायेगा।

iii. इनकी प्रकार पोस्ट-गामरून में (जो उत्खनन करने करने के पूर्व वह अस्तित्व) इनकी विभिन्न विन्दुओं पर रेत सतह की रेखांकन (Levels) का मान किया जाएगा।

iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित विभिन्न विन्दुओं पर रेत सतह की रेखांकन (Levels) का मान का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-गामरून के आंकड़े विसंवर 2020, 2021, 2022 एवं डी-गामरून के आंकड़े वर्ष 2020, 2021, 2022 तक अधिसूचित रूप से एच.ई.आई.ए.ए., उत्तीरगढ़ को प्रस्तुत किए जाएंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्पत्ति से की शीघ्रता किताबी, संगठित शीघ्र शीघ्र, एच.ई.आई.ए.ए. संख्या 008/1, काम-संगठित, सहस्र-बालीदानाधार, जिला-बलीदानाधार-नाटाधार, कुल लीज क्षेत्रफल 4.3 हेक्टेयर क्षेत्र में रेत उत्खनन अधिकतम 1.8 मीटर की गहराई तक सीमित रहने हुए, कुल 67,500 मन्कीटन प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु परिशिष्ट-12 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्याप्तता की शर्तों, जहाँ दिनांक की 02 वर्ष तक की अवधि हेतु देते जाने की अनुमति की गई। रेत की शुद्धता समिति द्वारा (Monthly) की जाएगी। जिल मंड (River Bed) में भारी पत्थरों का भारी प्रतिशत होगा। लीज क्षेत्र में निम्न रेत शुद्धता गहरी (Excavation depth) में सीमित शीघ्र तक रेत का उत्खनन ट्रेक्टर द्वारा किया जाएगा।

राज्य स्तर पर्याप्तता समाधान निर्धारण प्राधिकरण (एच.ई.आई.ए.ए.), उत्तीरगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

वैद्यक अनुवाद सामग्री के साथ संलग्न हुई।

(मोसमर, बिल्लस समिन्धन)

संयोजक सचिव

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंश समिति
उत्तीरगढ़

(पीरेश शर्मा)

सचिव

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंश समिति
उत्तीरगढ़

7. वेत का उपखनन बंधक विभागीय, सीमांकित एवं सीमित क्षेत्र में ही किया जाएगा। इन उपखनन की अधिकतम गहराई 1 मीटर अथवा अधिकतम ढलान क्षेत्र की ऊंचाई बराबर, जोसे में से जो कम हो से अधिक नहीं होगी। वेत का उपखनन किसी भी परिदृश्यो में जल-सतह को नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर गहराई तक की वेत नहीं करे। इसकी सीमा के अंदर खोदो जाना आवश्यक है।
8. वेत उपखनन नहीं लगी से कम से कम 2.5 मीटर अथवा गहरी की गहराई में 10 वर्गमीटर की दूरी जो से अधिक हो होखतन ही किया जाएगा, ताकि गहरी लगी का क्षरण न हो। इसजिसे उपखनन नहीं की सीमा से न्यूनतम 1.5 मीटर की दूरी के बाद किया जाएगा। किसी भी सुरक्षा, स्टापडॉम, गार्ड, एनीकॉट, जल प्रवाह बाधक एवं अन्य लवारी संरचनाओं से न्यूनतम 200 मीटर दूरी का सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।
9. यह सुनिश्चित किया जाये कि इन उपखनन से कारण गहरी जल का वेत, दरिद्रिटी एवं जल-आम्ल के संलयन पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े।
10. यह सुनिश्चित किया जाये कि उपखनन बंधक तरीके क्षेत्र में किया जाए जिससे तथा जिससे जल-सतह के अंतर्गत का गहरी की लीक-अप्ट प्रभाव को नुर्निमित न हो। जलधारी की प्रकृतिक दृश्यादी / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, जहां इन क्षेत्रों को अपरा धरम वेत उपखनन नहीं किया जाए।
11. वेत उपखनन एवं गहराई / परिदृश्य दिन को लागू ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वेत उपखनन विभिन्न प्रकारों अथवा लॉटिंग / उपखननिक आदि से कारण होने वाले पर्यावरणीय प्रभाव उपखनन के निषेधन हेतु समझूया जाये, उपखनन निषेधन व्यवस्थाएं, जैसे जल सिंचनका अथवा अन्य उपखनन व्यवस्था की जाए। वेत उपखनन क्षेत्र में पर्यावरणीय जांच की सुव्यवस्था भारत सरकार, पर्यावरण एवं जल सतह संचालन, संरक्षण, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
13. वेत का परिदृश्य उपखनन अथवा अन्य उपखनन माध्यम से जल एवं जलन से किया जाए, ताकि वेत जलन से बचत नहीं गिरे। कृत्रिम का परिदृश्यन वेत को बचानी को संभव से अधिक नहीं भल जाये सुनिश्चित किया जाए।
14. उपखनन क्षेत्र में खनि पदार्थन न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
15. राज्याधिकार के अन्तर्गत पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2020 में नवीकर के कटाव को रोकने हेतु कम से कम 200 नग प्रति हेक्टरपर जीव क्षेत्र के अनुसार जर्बुन, जामुन, बड़, पीपल, नीबू, करंज, सीसू, आम, इनजी, नीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों को कुल 1,200 पौधों का रोपण नदी तट पर तथा इसके अतिरिक्त 500 नग पौधे पट्टीय मार्ग में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (जिसे कस्टोडियन नाम की बाड़ का उपयोग) किया जाए। उपरोक्त नृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।
16. भारत सरकार, पर्यावरण, मन और जलसंचु परिदृश्य संरक्षण, नई दिल्ली के अधिनियम दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नांकित प्रस्ताव पर कार्य किया जाये-

Journal of Applied Psychology

Journal of Applied Psychology



Journal of Applied Psychology, 1995, Vol. 80, No. 1, 1-10
Copyright 1995 by the American Psychological Association
0893-3200/95/\$12.00 DOI: 10.1037/0893-3200.80.1.1

मेकर्स की अभिलेख सादृ, इनवीका सीम्स साईन
को पार्ट ऑफ़ एअर क्लॉक 330, कुल लीज होर 5 हेक्टेकर में से 4.32 हेक्टेकर,
बान-इरवीका, उदवील-बसतपुर, जिला-कोरिया (उ.प्र.) में मरुई नदी से रेल
अवसथन क्षमता 40,000 पन्थीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी
जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु है।
2. बाढ़ अध्ययन (मिस्ट्रीशन स्टडी) रिपोर्ट - परियोजना प्रस्तावक को बाढ़न क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत बाढ़ अवसथन (Situation Study) करावेगा, जहाँ क्षेत्र के पुनर्स्थापन (Rehabilitation) बाढ़न क्षेत्र अवसथन, क्षेत्र अवसथन को नदी, नदीजल, आसानीय अवसथन, लीज क्षेत्र स्थल लीज पर अवसथन क्षेत्र की जमीन की सुव्यवस्था पर क्षेत्र अवसथन को अवसथन की सभी जानकारी प्राप्त हो सके। तथा बाढ़ अध्ययन (मिस्ट्रीशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आगामी अवधि के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।
3. बाढ़ अवसथन अभिलेख जिला द्वारा अधिसूचित किसी अवसथन में से अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत हो अवसथन का कुल रकबा 5 हेक्टेकर से अधिक होना ही ही पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
4. अवसथन क्षेत्र 4.32 हेक्टेकर से अधिक नहीं होगा। इसी अवसथन क्षेत्र में से का अधिसथन अवसथन 40,000 पन्थीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। पर बाईनिंग क्षेत्र एवं अवसथन बाईनिंग क्षेत्र का भी क्षेत्र पर अभिलेख जिला से स्पष्ट संव्यवस्था करने के पश्चात् ही अधिलेख जिला द्वारा अवसथन की अनुमति दी जाएगी।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवसथन की पूर्व अवसथन लीज के अन्तर् / नदी तट (रॉन्डो जॉर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी तट (Levee) का भी स्वी किया जावेगा। अवसथन क्षेत्र नदी तट (Levee) का स्वी 25 गुण 25 मीटर के अवसथन (Silt) में किया जाएगा। यह अवसथन के अवसथन पानसून के पूर्व (मरुई गांव के अधिलेख क्षेत्र/क्षेत्र) में बाईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र में अवसथन एवं अवसथन क्षेत्र में 100 मीटर तक तथा अवसथन लीज के अन्तर् / नदी तट (रॉन्डो जॉर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी तट (Levee) का भी पूर्व निर्धारित किए किन्तु का भी किया जावेगा। इसी अवसथन अवसथन में क्षेत्र अवसथन द्वारा अवसथन के पूर्व गांव अवसथन। इसी किए किन्तु पर क्षेत्र तट (Levee) का अवसथन किया जाएगा। यह तट (Levee) के पूर्व निर्धारित किए किन्तु पर क्षेत्र तट (Levee) के अवसथन का स्वी आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। बाईनिंग-अवसथन के अवसथन दिनांक 2020, 2021, 2022 एवं क्षेत्र-अवसथन के अवसथन दिनांक 2020, 2021, 2022 तक अधिलेख क्षेत्र से एम.ई.आई.ए.ए. अवसथन को प्रस्तुत किए जावेगा।
6. क्षेत्र की सुव्यवस्था पानसून द्वारा (Manually) की जाएगी। इस अवसथन के लिए किसी अवसथन अवसथन (Machinery) अधिलेख क्षेत्र तट (Levee) नहीं किया जाएगा। क्षेत्र तट में भी अवसथन का अवसथन अधिलेख क्षेत्र। लीज क्षेत्र में स्थित रेल सुव्यवस्था (Excavation pit) में अधिलेख क्षेत्र तट का अवसथन क्षेत्र द्वारा किया जाएगा।

7. वेग का पर्यवेक्षण करवाए किन्हीं-एक स्थानों पर एवं प्रायः एक मी. ही किया जाएगा। वेग पर्यवेक्षण की अधिकतम गहराई 1 मीटर अथवा पर्यवेक्षण एक स्तर की उपरी सतह, दोनों में से जो कम हो, हो अधिक नहीं होगी। वेग का पर्यवेक्षण किसी भी परिस्थिति में जल सतह के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 3 मीटर गहराई तक की वेग नदी घाट (कार्ये क्षेत्र) के उपर हीना जांच आवश्यक है।
8. वेग पर्यवेक्षण नहीं करने के समय के कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो पर्यवेक्षण ही किया जाएगा, ताकि नदी सतह का क्षरण न हो। इसीलिए पर्यवेक्षण नदी की सतह से न्यूनतम 1.5 मीटर की दूरी के बराबर किया जाएगा। किन्हीं भी भूमिका, अन्वेषण, बांध, एपीकाट जल प्रवाह आदिवाह एवं अन्य कृत्रिम बाधाओं से न्यूनतम 200 मीटर दूरी का सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।
9. यह सुनिश्चित किया जाए कि वेग पर्यवेक्षण के समय नदी जल का वेग, एपिडेंटो एवं जल बहाव के सम्बन्ध में कोई किन्हीं प्रभाव न पड़े।
10. यह सुनिश्चित किया जाए कि पर्यवेक्षण केवल एक ही क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस-पास से क्षेत्र का कोई भी जीव-जन्तु प्रवास हेतु निर्धारित न हो। समुद्रों में प्रचलित दुर्घटनाएँ / क्षेत्रों का संरक्षण आदिवाहों के अन्तर्गत इन क्षेत्रों के अन्दर आस-पास पर्यवेक्षण नहीं किया जाए।
11. वेग पर्यवेक्षण एवं नसाई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए।
12. पर्यवेक्षण आवश्यक द्वारा वेग पर्यवेक्षण किन्हीं उपरोक्त पन्ना एपिडेंटो / अपिडेंटो अथवा से उपस्थित होने वाले अपिडेंटो द्वारा पर्यवेक्षण के सिद्धता हेतु उपयुक्त नमूने प्रदान निर्धारण आवश्यक जैसे एक विशिष्ट अथवा अन्य उपयुक्त उपकरणों की जाए। वेग पर्यवेक्षण क्षेत्र में परिभाषित नमूने की सुविधाएँ माला संरक्षण पर्यवेक्षण एवं और एक नमूने परिभाषित, संरक्षण, नदी किनारे द्वारा अनिवार्य रूपसे हो अधिक नहीं होने चाहिए।
13. वेग का पर्यवेक्षण तापमान अथवा अन्य उपयुक्त मापन से इसके हेतु उपकरणों में किया जाए, ताकि वेग मापन से बाहर नहीं गिरे। एपिडेंटो का पर्यवेक्षण एवं नदी किनारे से दूरी के अधिक नहीं भरा जाया सुनिश्चित किया जाए।
14. पर्यवेक्षण क्षेत्र में जल प्रदूषण न हो यह सुनिश्चित किया जाए।
15. प्राथमिकता के आधार पर अधिकांश प्रबंधन द्वारा वर्ष 2020 में नदीघाट की कटाव को रोकने हेतु कम से कम 200 नम प्रति हेक्टर लीज क्षेत्र को अनुसूचित अर्बुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, कर्ज, सीसू, आम, इलायची, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 2,000 पौधों का रोपण नदी तट पर तथा इसके अतिरिक्त 1,000 नम पौधे फर्निच मार्ग में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कार्टेजर धार की बांध का उपयोग) किया जाए। उपरोक्त मुहाने रोपण प्रकल्प वर्ष में पूर्ण किया जाए।
16. माला संरक्षण पर्यवेक्षण, एवं और उपयुक्त परिभाषित संरक्षण, नदी किनारे के जो एन विनियम 01/03/2018 के अनुसार सी.इ.ए.ए. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्तावित नमूने किया जाए-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
			Following activities at nearby Government Higher Secondary School Village-Harchoke	
			Rain Water Harvesting System	1.00
14.1	2%	0.28	Running water facility for Toilets	0.10
			Plantation	0.05
			Total	1.17

17. बी.डू.एन. के साथ निश्चित कार्यवाही दृष्टि से अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।

18. परियोजना प्रस्तावक संसिद्ध केंद्र / राज्य सरकार के विभिन्न मन्त्रालों एवं अन्य संस्थाओं से नए कार्यक्रमों को प्रारंभ करने के पूर्ण आवश्यक सभी अनुमोदित प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहाँ एक अनु अनुसंधान विभाग तथा सर्वोच्च संस्थान से अनुसंधान-कार्य पर केंद्र / राज्य सरकार, संघीय अनुसंधान निदेशक बोर्ड / भारतीय संघीय संस्थान सरकार द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।

19. भारतीय संघ संघीय नियम, 2016, संघीय सरकार द्वारा केवल अनुसंधान से अनुसंधान विभाग 2/3/2008 के प्रावधानों/कार्य एवं अनुसंधान जारी किए निर्देशों, अनुमोदित अनुसंधान योजना एवं सर्वोच्च संस्थान योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।

20. कार्य नीति पर यदि उचित अधिक कार्य कर जमाएँ जारी हैं तो ऐसे अधिकारों के आधार पर उचित आवश्यक परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय परियोजना प्रस्तावकों को संघ से हो सकती है, किंतु परियोजना पूरी होने के पश्चात् होना जा सके।

21. अधिकारों के लिए अनुसंधान नीति पर अनुसंधान विभाग/संघीय सुविधा, संघीय अनुसंधान विभाग एवं उचित परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

22. अधिकारों का संघ-संघ पर अनुसंधान-कार्य केवल सुनिश्चित किया जाए।

23. अनुसंधान की संस्थानों, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित अनुसंधान योजना के अनुसार अधिकारों को जारी की जाएगी एवं अधिकारों एवं कार्य, भारतीय संघ / राज्य सरकार, परियोजना पर उचित अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

24. इस सर्वोच्च संघीय नीति को जारी करने का आदेश किन्हीं अधिकारों के अभाव में संसिद्ध पर अधिकार दर्शने का नहीं है एवं न ही यह सर्वोच्च संघीय नीति किन्हीं निजी संस्थानों का अनुसंधान अनुसंधान अनुसंधान अधिकारों के अधिकारों के अभाव में राज्य एवं संघीय संसिद्ध / अधिकारों के अभाव में अनुसंधान किया जाए।

31. भारतीयलोक सेवायोजना संस्थान संयुक्त कार्यपालकीय स्वीकृति की प्रति को समस्त इंडियन कॉन्सोल्टन्ट, विन्ड-पायान एन कर्पोरेशन केन्द्र एन कर्पोरेशन/राष्ट्रीयकृत कर्पोरेशन से 30 दिवस की अवधि में लिये प्रदर्शित करेगा।
32. कार्यपालकीय स्वीकृति के विस्तृत अर्पित केवलते रीज ट्रीक्यूलेशन के समस्त नैतक्यल रीज ट्रीक्यूलेशन एवम 2010 की काल 10 में दिष्ट कए प्रकल्पनों अनुसार 30 दिन की समय-अवधि में की जा सकंती।

सदस्य, समित, एन.ई.ए.सी.

सदस्य, एन.ई.ए.सी.

7. बेस का वास्तविक आयत किन्हीं, सीमांकित एवं परिचित क्षेत्र में ही किया जाएगा। बेस वास्तविक की अधिकतम गहराई 1 मीटर अथवा लीमान जल सतह की ऊपरी सतह कोशे में से जो जो कम हो, के अधिक नहीं होगी। बेस का वास्तविक किन्हीं भी परिधिगत में जल सतह को नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर गहराई तक जो बेस नदी सतह (हाई वॉटर) के ऊपर खोदा जाना आवश्यक है।
8. बेस वास्तविक नदी तटी से कम से कम 1.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी का भी अधिक जो आवश्यक हो किया जाएगा, जबकि नदी तटी का क्षरण न हो। इसलिए वास्तविक नदी की सीमा में न्यूनतम 22 मीटर की दूरी को बंध किया जाएगा, किसी भी पुलिस, स्टेशन, बस, एम्बुलेंस, फायर स्टेशन अथवा अन्य अन्य स्थायी संरचनाओं में न्यूनतम 200 मीटर दूरी का सुरक्षित क्षेत्र खोदा जाना अनिवार्य है।
9. यह सुनिश्चित किया जाए कि बेस वास्तविक की गहराई नहीं कम हो, लॉन्गिटीरल एवं ट्रांसवर्सल का स्तरण पर कोई विचलन उत्पन्न न हो।
10. यह सुनिश्चित किया जाए कि वास्तविक क्षेत्र की सीमा में किया जाए जिसमें एक दिशा में जल-सतह के बीच पर कोई भी जीव-जन्तु प्रजनन हेतु निर्मित न हो। स्तूपों के अंतर्गत इमारतों / दीवारों का संरक्षण आवश्यक है, जो इन क्षेत्रों के क्षरण पर बेस वास्तविक नहीं किया जाए।
11. बेस अथवा एवं स्तूपों / परिधान दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए।
12. पर्यावरण प्रभावक द्वारा बेस वास्तविक किन्हीं प्रजातों पर कोई नकारात्मक / अप्रतिकूल प्रभाव हो उत्पन्न होने वाले अनुचित/अन्य कारकों के निर्धारण हेतु पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त निरीक्षण आवश्यक है। जल विद्यमान अथवा अन्य उपयुक्त उपकरणों की जाए। बेस वास्तविक क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा सतह संरक्षण, पर्याप्त, कम और जल मात्रा पर्याप्त संरक्षण, नई दिल्ली द्वारा अधिकृत नक्शों से अधिक नहीं होने चाहिए।
13. बेस का परिधान आवश्यक अथवा अन्य पर्याप्त संरक्षण से इसे दूर धारण में किया जाए, जबकि बेस क्षरण से क्षण नहीं हिन। खनिज का परिधान कम हो क्षतों को क्षण से अधिक नहीं भरा जाए सुनिश्चित किया जाए।
14. वास्तविक क्षेत्र में नदियों अनुपलभ न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
15. प्राथमिकता के आधार पर स्थान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2020 में नदी/बंद के सतह को रोकने हेतु कम से कम 200 मम प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्रों के अनुसंधान अर्जुन, जामुन, महु, पीपल, नीम, करंज, चीन्हा, जाम, इमली, गीरक आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 1,500 बीघों का रोपण नदी तट पर तथा इसके अतिरिक्त 250 मम बीघों पर्य्य क्षेत्र में किया जाए। रोपण की सुरक्षित रखने के लिए उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (जो अतिरिक्त सतह की बाढ़ का प्रबंधन) किया जाए। वर्षीय वृक्षरोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।
16. सतह सतह, पर्याप्त कम और उपयुक्त पर्याप्त संरक्षण, नई दिल्ली के अंतर्गत दिनांक 01/06/2018 के अनुदान की आधार (Corporate Environmental Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रमाण पर कार्य किया जाए—

25. एच.ई.आई.ए.ए. भारतीयसभ पर्यवेक्षण संस्था की दृष्टि से परियोजना की कार्यवाही में परिवर्तन अथवा विनिर्देश जारी की संशोधन का वह हो जहाँ में काम में काम की तरह में किसी की कार्य में जातीय / विचार करने अथवा मनु जारी जोड़ने अथवा अन्तर्गत / विस्थापन के मातृकी को जोड़ करना करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
26. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 3 भारतीय उद्योगों वाली है जो कि परियोजना क्षेत्र को अन्त-जाल आगक रूप में इस्तेमाल की, पर्यावरणीय स्वीकृति अथवा होने का 3 दिनों की भीतर इस अथवा को सूचना प्रकटित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो मनु है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ अधिकारक, भारतीयसभ पर्यावरण संस्था मन्त्रालय से अन्तर्गतन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अन्तर्गतन भारत सरकार, पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, नई दिल्ली की वेबसाइट www.epa.gov.in एवं एच.ई.आई.ए.ए. भारतीयसभ की वेबसाइट www.ahac.org.in में भी किया जा सकता है।
27. पर्यावरणीय स्वीकृति में ही मनु जारी के अन्तर्गत मनु जो मनु कार्यवाही की अन्तर्गत अधिक विभिन्न भारतीयसभ पर्यवेक्षण संस्था मन्त्रालय, नया रायपुर अथवा नगर, जिला-रायपुर, क्षेत्रीय आयोग, भारतीयसभ पर्यवेक्षण संस्था मन्त्रालय, अम्बिकापुर, एच.ई.आई.ए.ए. भारतीयसभ एवं क्षेत्रीय आयोग पर्यवेक्षण, जल एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए। क्षेत्रीय आयोग पर्यवेक्षण, जल एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रस्ताव जारी के अन्तर्गत मनु मन्त्रालय की कार्यवाही।
28. एच.ई.आई.ए.ए. भारतीयसभ, पर्यवेक्षण, जल एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, भारत सरकार / क्षेत्रीय आयोग पर्यवेक्षण, जल एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, भारत सरकार, रायपुर / क्षेत्रीय आयोग पर्यवेक्षण संस्था मन्त्रालय को प्रेषित किया जाए। भारतीयसभ पर्यवेक्षण संस्था मन्त्रालय को प्रेषित किया जाए।
29. परियोजना प्रस्तावक भारतीयसभ पर्यवेक्षण संस्था मन्त्रालय एवं जल एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय को अन्तर्गतन का मनु की अन्तर्गत करेगा। वे जारी अन्तर्गत (अनुसूचक विभाग एवं निष्पत्त) अन्तर्गत, 1974 एवं (अनुसूचक विभाग एवं निष्पत्त) अन्तर्गत, 1984, पर्यवेक्षण (संस्था) अन्तर्गत, 1988 तथा इनके अन्तर्गत अन्तर्गत एवं निष्पत्त पर्यवेक्षण अन्तर्गत अन्तर्गत एवं सीमागत मन्त्रालय, नियम, 2008 (जल पर्यावरण) एवं लोक प्रकृतिक सेवा अन्तर्गत, 1995 (जल पर्यावरण) के अन्तर्गत विनिर्देश की जा सकती है।
30. भारतीय परियोजना की कार्य में एच.ई.आई.ए.ए. भारतीयसभ में अनुसूचक विभाग में कार्य की अन्तर्गत अन्तर्गत पर्यावरण होने की तरह में एच.ई.आई.ए.ए. भारतीयसभ को पुनः अन्तर्गत अन्तर्गत मन्त्रालय प्रेषित किया जाए, यदि एच.ई.आई.ए.ए. भारतीयसभ इस पर विचार कर जारी की अनुसूचक अथवा मन्त्रालय जारी विनिर्देश करने अन्तर्गत विधि है अन्तर्गत। अन्तर्गत में कार्य की अन्तर्गत अन्तर्गत एच.ई.आई.ए.ए. भारतीयसभ / भारत सरकार, पर्यवेक्षण, जल एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, नई दिल्ली की मनु अनुसूचक के किया नहीं किया जाए।

बेसर्स श्री दिलीप कुमार गुप्ता, एम-1, कोरेवा रोड, साईन
की सहायता आर्थिक 10000, कुल लीज होन 4 हेक्टर पर से 3.81 हेक्टर,
ग्राम-कोरेवा, तहसील व जिला-गुरुदासपुर (फ.न.) में घुनघुट्टा नदी से सेत
उत्खनन लागत 32,500 पन्नीटर प्रतिवर्ष सेतु प्रस्तावित कार्यकरण स्वीकृति में दी
जाने वाली है।

1. यह कार्यवाही स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि सेतु है।
2. यह कार्यवाही (मिलिटेशन स्टडी) रिपोर्ट - कार्यवाही प्रस्तावक से सदान होन में आगामी 1.5 वर्ष में मिलित यह अध्ययन (Situation Study) करायेगा, जिन सेतु के पुनर्गठन (Reconstruction) कार्य की अवधि, सेतु उत्खनन का सटीक नदीवाला, स्थानीय जनसंघ, लोक एवं सूक्ष्म बीजे पर प्रभाव तथा नदी से पानी की गुणवत्ता पर सेतु उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके। जहाँ यह अध्ययन (मिलिटेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आगामी अवधि के लिए कार्यवाही स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।
3. यदि सदान समित्त विभाग द्वारा अधिसूचित किसी सलक्टर में से, अवधि 500 मीटर से अधिक स्वीकृति पर सदान पर कुल लागत 5 हेक्टर से अधिक होत है तो कार्यवाही स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
4. उत्खनन होन 3.81 हेक्टर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार सदान से सेतु का अधिकतम उत्खनन 32,500 पन्नीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। पर सड़क सेतु एवं अवरोध सड़क सेतु का सौके पर समित्त विभाग से स्पष्ट सीमांकन करने के पश्चात् ही समित्त विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जायेगी।
5. परिचोपण प्रस्तावक द्वारा उत्खनन के पूर्व खनन बीज के साथ / नदी सेतु दोनों ओर से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तर (Levels) का सटीक चित्र करायेगा। सड़क सेतु नदी सतह के स्तर (Levels) का सटीक 25 गुना 25 मीटर के आकार (Grid) में चित्र करायेगा। यह खनन के पश्चात् खनन के पूर्व (पूर्व भाग के अतिरिक्त सतह/सूने) में सड़क सेतु क्षेत्र तक क्षेत्र क्षेत्र के आसपास एवं आसपास में 100 मीटर तक तथा खनन क्षेत्र के साथ / नदी सेतु दोनों ओर से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तर (Levels) का सटीक चित्र निर्धारित दिग् विन्दु पर चित्र करायेगा। इसी प्रकार सतह-मानसून में सेतु उत्खनन कार्य करने के पूर्व भाग (सतह) इसी दिग् विन्दु पर सेतु सतह के स्तर (Levels) का सतह चित्र करायेगा। सेतु सतह के पूर्व निर्धारित दिग् विन्दु पर सेतु सतह के स्तर (Levels) के साथ सेतु जारी आगामी 3 वर्ष तक निरंतर चित्र करायेगा। सतह-मानसून के आसपास दिग्मान 2020-2021, 2022 एवं सी-मानसून के आसपास दिग्मान 2022, 2021, 2022 तक अधिवाही रूप से एन.ई.अर्बा.ए.ए. कार्यवाही को प्रस्तुत किए जायेंगे।
6. सेतु की सतह निर्माण कार्य (Manuals) की जायेगी। इस कार्यवाही में जिन किसी कार्यवाही (Machinery) जहाँ तक उपयोग नहीं किया जाएगा। सतह सेतु में नदी सतह का प्रवेश परिचोपण होगा। लीज क्षेत्र में स्थित सेतु सतह (Excavation pit) से अधिवाही सतह सेतु का परिचोपण टैलाट टॉपी द्वारा चित्र करायेगा।

7. रोड का अन्वयन बीजत किरीट सीमांतिक क्षेत्र प्राथित क्षेत्र में ही किया जाएगा। यह अन्वयन की अधिकतम गहराई 1 मीटर अथवा परिष्कृत जल संचय की उपरी सतह, दोनों में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रोड का अन्वयन किसी भी परिष्कृत में जल संचय की नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर गहराई तथा जो कि जो भी गहराई संचय के उपर सीमा अथवा आसन्न है।
8. रोड अन्वयन नदी नदी से कम हो कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो परिष्कृत ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। इसलिए अन्वयन नदी की तटों से न्यूनतम 20 मीटर की दूरी की धर किया जाएगा। किसी भी पुलिस, न्यायिक क्षेत्र, पुलिस, सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों से न्यूनतम 250 मीटर दूरी का सुरक्षित क्षेत्र अथवा जल अन्वयन है।
9. यह सुरक्षित किया जाए कि रोड अन्वयन से संचय नदी जल का वेग-दुर्गिच्छी दूरी जल संचय के क्षेत्र पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।
10. यह सुरक्षित किया जाए कि अन्वयन क्षेत्र नदी क्षेत्र में किया जाए किन्तु तथा किन्तु जल-संचय के क्षेत्र पर कोई भी जीव-जन्तु अन्वयन हेतु निर्धारित न हो। कृषि के अन्वयन इकाई / क्षेत्र का संचय आसन्न है, जो कि इन क्षेत्रों के जल संचय से अन्वयन नहीं किया जाए।
11. रोड अन्वयन एवं गहराई / परिष्कृत दिन के समय ही किया जाए। यह जल संचय के समतल नहीं किया जाए।
12. जीव-जन्तु अन्वयन द्वारा रोड अन्वयन विभिन्न प्रकारों तथा जीवित / अन्वयनित क्षेत्रों के अन्वयन होने वाले सुरक्षित जल अन्वयन के निर्धारण हेतु अन्वयन एवं अन्वयन निर्धारण अन्वयन से जल अन्वयन अन्वयन अन्य अन्वयन अन्वयन की साथ। रोड अन्वयन क्षेत्र में परिष्कृत जल की न्यूनतम मात्रा संचय, अन्वयन, जल और जल संचय परिष्कृत, संचयन, नदी दिल्ली द्वारा अन्वयनित क्षेत्रों से अधिक नहीं होगी अन्वयन।
13. रोड का परिष्कृत अन्वयन अथवा अथवा अन्वयन अन्वयन से इसे सुरक्षित क्षेत्र में किया जाए, ताकि जो जल से बाहर नहीं गिरें। अन्वयन का परिष्कृत जल संचय अथवा जल संचय से अधिक नहीं वह अन्य अन्वयन सुरक्षित किया जाए।
14. अन्वयन क्षेत्र में जल संचय न हो, यह सुरक्षित किया जाए।
15. वास्तविकता की अन्वयन पर अन्वयन अन्वयन द्वारा वर्ष 2020 में नदीजल के अन्वयन की रोकने हेतु कम से कम 200 नग प्रति हेक्टर जीव क्षेत्र के अन्वयन अन्वयन, जल, बंध, पीपल, नीच, करंज, नीच, जल, इनजी, नीचल आदि अन्य अन्वयन अन्वयन के कुल 1,200 पीपल का रोपण नदी तट पर तथा इनके अन्वयन 500 नग पीपल संचय मार्ग में किया जाए। रोपण की सुरक्षित रखने के लिये अन्वयन एवं पर्याप्त अन्वयन (यथा अन्वयन तट की बाढ़ का अन्वयन) किया जाए। अन्वयन अन्वयन अन्वयन वर्ष में पूर्ण किया जाए।
16. जल संचय, अन्वयन, जल और अन्वयन अन्वयन अन्वयन नदी दिल्ली के अन्वयन, दिनांक 01/06/2018 के अन्वयन सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का अन्वयन अन्वयन एवं अन्वयन किया जाए।

इस पर विचार कर सभी की उपस्थिति अथवा नहीं होने निर्दिष्ट करने के लिए निर्देश दे सके। अद्यतन में कोई भी विद्यार्थी अपना सम्बन्ध एस.ई.आई.ई.ई. कार्यालय / भागा संस्थान, परीक्षण, वेब और जलवायु परीक्षात्मक मजालम नई दिल्ली की पूरी अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

11. इसी प्रकार परीक्षाएं संस्था केवल परीक्षात्मक स्वीकृति की धारों को अपने अंतर्गत कार्यालय, विद्या-स्थान एवं परीक्षा केन्द्र एवं कलेक्टर / कार्यालय कार्यालय में 30 दिनों की अवधि के लिए प्रदर्शित करें।

12. परीक्षात्मक स्वीकृति के विच्छेद अर्थात् वेबसाइट कीम ट्रांसमिशन के साथ, वेबसाइट ऑन-ट्रांसमिशन एक अवधि की भाषा में दिए गए जानकारी अनुसार 30 दिनों की अवधि अवधि में ही हो सकती।

सदस्य सचिव, एस.ई.ई.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ई.सी.

मेसर्स श्री दिनेश कुमार गुप्ता, एफ-2, कोरेगा रोड गाईन
की बराबर अर्थात् 2711, कुल लीज क्षेत्र 4 हेक्टर, धान-कोरेगा, तहसील व
जिला-सुरापुर (म.प्र.) में पुनर्गठन नदी से रेत आसन्न अर्थात् 40,000 घनमीटर
प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जहाँ दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु देना है।
2. धान अद्ययन (मिलिटेशन स्टडी) रिपोर्ट - परियोजना पर्यावरण से सम्बन्धित क्षेत्र में आगामी 15 वर्ष में विस्तृत धान अद्ययन (Detailed Study) करावेगा। जहाँ से नदी पुनर्गठन (Rehabilitation) कायम रही जायेगा, वह पर्यावरण का नदी पर्यावरण, स्थानीय जनसंख्या, जीव वन वन्य जीवों का प्रभाव तथा नदी की पानी की गुणवत्ता का भी अध्ययन को प्रभाव रही सभी पर्यावरणीय प्रभाव ही होंगे। तथा यह अद्ययन (मिलिटेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आगामी अवधि के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने का विचार किया जाएगा।
3. यदि धान स्निज रिपोर्ट द्वारा अधिकृत किया गया क्षेत्र में ही अर्थात् 300 मीटर के भीतर स्वीकृत क्षेत्र अर्थात् का कुल क्षेत्र 4 हेक्टर से अधिक होगा है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
4. धान क्षेत्र 4 हेक्टर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार धान की रेत का अधिकतम पर्यावरण 40,000 घनमीटर प्रतिवर्ष ही अधिक नहीं होगा।
5. नदीधारा प्रभावित धान पर्यावरण की पूर्व धारण सीमा को नदी / नदी तट (रिवर बैंड) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी तट की धारा (Levee) का भी पूर्व किया जाएगा। धाराधारा नदी तट धारा की धारा (Levee) का भी 25 गुना 25 मीटर के आयाम (Girth) में किया जाएगा। रेत खनन के उपरान्त मानसून की पूर्व एवं बाद की अवधि (साधारण/जून) में माईमिन लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अन्दरूनी एवं अन्दरूनी में 100 मीटर तक तक खनन लीज के धारा / नदी तट (रिवर बैंड) का 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी तट की धारा (Levee) का भी पूर्व निर्माण किए बिना नहीं कर दिया जाएगा। इसी प्रकार धारा-मानसून में रेत अद्ययन प्रारंभ करने के पूर्व सख अद्ययन इसी धारा बिन्दुओं का रेत धारा के अंतर्गत (Levee) का मापन किया जाएगा। इन धारा के पूर्व निर्माण किए बिना धारा के अद्ययन (Levee) का मापन जो करके आगामी 3 वर्ष तक किया किया जाएगा। धारा-मानसून के अंतर्गत दिनांक 2020, 2021, 2022 एवं प्री-मनसून का अंतर्गत आगामी 2020, 2021, 2022 तक अंतर्गत तथा से एनईआईएए, तहसीलगाँव का प्रस्तुत किए जायेगे।
6. रेत की सुरक्षा समिति द्वारा (Manually) की जाएगी। इस पर्यावरण के लिए किसी पर्यावरण संयंत्र (Machinery) जहाँ का उपयोग नहीं किया जाएगा। धारा क्षेत्र में नदी धारा का प्रवेश प्रतिबंधित होगा। जीव क्षेत्र में स्थित रेत सुरक्षा मण्डल (Excavation site) में अंतर्गत धारा रेत का पर्यावरण क्षेत्र होने के लिए धारा किया जाएगा।
7. रेत का पर्यावरण क्षेत्र विस्तृत, स्वीकृत एवं अधिक क्षेत्र में ही किया जाएगा। रेत पर्यावरण की अधिकतम गहराई 1 मीटर अथवा अधिकतम रेत धारा की अवधि धारा, दोनों में ही का क्षेत्र ही से अधिक नहीं होगी। रेत का अद्ययन किसी की पर्यावरण

के अलावा काल के भीरे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर चौड़ाई तथा की गैर नदी तक (हाई-रोक) के अग्रिम छोड़ा जाना आवश्यक है।

8. रेल लाइन नदी हाई-रोक से कम से कम 1.5 मीटर अलावा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जै-सी अधिक हो तोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी हाई-रोक का अग्रिम न हो। इससे रेल लाइन नदी की दूरी से न्यूनतम 1.5 मीटर की दूरी के अलावा किया जाएगा। किसी भी पुलिस, स्टेशन, यात्रा, एम्प्लॉय, जल प्रदाता व्यवस्था एवं अन्य स्टाफ संलग्नता से न्यूनतम 200 मीटर दूरी का सुरक्षित क्षेत्र बनाया जाना अनिवार्य है।
9. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेल लाइन की अलावा नदी अलावा का क्षेत्र, जमींदारों एवं अन्य स्टाफ के अलावा या कोई निजी व्यवस्था न हो।
10. यह सुनिश्चित किया जाए कि लाइन केवल उन्हीं क्षेत्र में किया जाए जिनमें लक्ष्य विनाश-प्रदाता की संख्या कम हो। सीमा-रक्षक प्रदान होना चाहिए। लाइन के अलावा इकाई में / क्षेत्रों का संसाधन व्यवस्था है, जो इन क्षेत्रों के अलावा या रेल लाइन नदी किया जाए।
11. रेल लाइन एवं हाई-रोक / प्रतिफल दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य ताकि का समाप्त नहीं किया जाए।
12. परिवहन व्यवस्था द्वारा रेल लाइन विभिन्न प्रकारों एवं लॉजिस्टिक्स / अनायास आदि से प्रभाव होने वाले अनुचित व्यवस्था के विनाश हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था करें। जल विद्यमान व्यवस्था अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेल लाइन क्षेत्र में अधिकतम वायु की सुरक्षा तथा व्यवस्था पर्याप्त रूप से जल एवं वायु परिवहन, संसाधन, नई दिल्ली द्वारा अधिकृत मामलों से अधिक नहीं होने चाहिए।
13. रेल का परिवहन पर्याप्त व्यवस्था अन्य उपयुक्त माध्यम से उनके लिए उपयुक्त की किया जाए ताकि रेल लाइन से बाहर नहीं दिने। लॉजिस्टिक्स का परिवहन कर के कारणों को अलग से अधिक नहीं कर अन्य सुनिश्चित किया जाए।
14. लाइन क्षेत्र में वायु प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
15. प्राथमिकता के आधार पर अग्रिम प्रबंधन द्वारा वर्ष 2020 में नदीतट के अलावा की रोकने हेतु कम से कम 200 नम प्रति हेक्टर जीव क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, बाबुन, बंद, पीपल, नीम, करंज, बीजू, आम, दुमली, नीरस आदि अन्य स्थानीय पशुधरों के कुल 1,500 बीघों का रोपण नदी तट पर तथा इसमें अधिकतम 500 नम बीघों पर ही करना है। रोपण की सुरक्षा रखने के लिए उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कस्टोडियन तान की अलावा का उपयोग) किया जाए। उपरोक्त सुझावों पर ध्यान वर्ष में पूर्ण किया जाए।

संशोधित तथा लोक दायित्व सेवा अधिनियम, 1989 (अथ संशोधित) के अर्धीन
सिद्धिपत्र की जा सकती है।

- 20 संशोधित परिशिष्टना के अर्धे में एल.ई.आइ.ए.ए. संशोधित में संशुद्ध विवरण में
कोई भी विवरण अथवा परिवर्तन होने की वृत्त में एल.ई.आइ.ए.ए. संशोधित को
पुनः नवीन अन्वयकी शक्ति सुचित किया जायू ताकि एल.ई.आइ.ए.ए. संशोधित
इस पर विचार-युक्त शर्तों की अनुसंधान अथवा नवीन शर्तों निर्दिष्ट करने अथवा
निर्वास है ताकि। अथवा में कोई भी विवरण अथवा अन्वयन एल.ई.आइ.ए.ए.
संशोधित / अथवा संशोधित, संशोधित, केन अर्धे अथवा परिशिष्ट संशोधित, शर्त
दिलगी की पुनः अनुमति के बिना नहीं किया जायू।
- 21 संशोधित परिशिष्ट संशोधित संशोधित परिशिष्ट संशोधित की वृत्त में अथवा अर्धीन
संशोधित, विवरण-अथवा एव अथवा अर्धीन एव अथवा / संशोधित संशोधित में
20 दिवस की अवधि के अर्धे अर्धीन अथवा।
- 22 परिशिष्ट संशोधित के अर्धे अर्धीन संशोधित अर्धीन अथवा अथवा अथवा
अर्धीन अथवा एल.ई.आइ.ए.ए. की वृत्त में अथवा अथवा अथवा 20 दिवस की
अथवा अथवा में की जा सकती।

सदस्य सचिव, एल.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एल.ई.ए.सी.

बेसर्स की नवजीव शिष्ट, टु-1 बंगीपुर रोन्ड बाईन

को खसरा क्रमांक 1105, कुल लीज क्षेत्र 4.38 हेक्टेयर में ही 4.62 हेक्टेयर,
 भाग-बंगीपुर, तहसील-प्रतापपुर, जिला-मुजफ्फर (म.प.) में स्थान नदी से दो
 किलोमीटर समता 45,800 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी
 जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति सभी दिशाओं से दो वर्ष तक की अवधि हेतु दी है।
2. गार्ड अवधारण (शिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट - पर्यावरण प्रभावका रण अध्ययन क्षेत्र में आगामी 15 वर्ष में विद्युत गार्ड अवधारण (Installation Study) अवधारण। ताकि जो जो पुनर्गठन (Rehabilitation/Restoration) कार्य सभी स्तरों, या उपखण्ड का नदी, नदीखण्ड, स्थानीय जनजाति, जीव एवं वन्य जीवों का प्रभाव तथा नदी के किनारे की पुनर्गठन पर दो अध्ययन के प्रभाव की सभी जानकारी प्राप्त हो सके। इसके गार्ड अवधारण (शिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने की परभाव से आगामी अवधि में विद्युत पर्यावरणीय स्वीकृति अदान करने पर विचार किया जाएगा।
3. यदि अदान समित्त विभाग द्वारा अधिसूचित किरी अवधता में 7, अथवा 800 मीटर के भीतर स्वीकृत रण अदानों का कुल लंबाई 6 हेक्टेयर से अधिक होती है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
4. अध्ययन क्षेत्र 4.62 हेक्टेयर की अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार अदान से दो या अधिककाल अवधता 45,800 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। रण नदीखण्ड क्षेत्र एवं अदीक नदीखण्ड क्षेत्र का भीड़ का अधिक विभाग से संबंधित अध्ययन अदान के अभाव की अधिक विभाग द्वारा अध्ययन की अनुमति दी जाएगी।
5. परिशिष्टक प्रस्तावक द्वारा अध्ययन के पूर्व खनन क्षेत्र के साथ 7 मीटर तक (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के सारों (Levels) का भी सर्वे किया जाएगा। एकांक सभी नदी सतह के सार (Levels) का सर्वे 25 गुण 25 मीटर की अवधता (Grid) में किया जाएगा। का समय के अभाव में सर्वे का पूर्व से पूर्व के अधिक अवधता, अनु- में गार्डमिन क्षेत्र क्षेत्र तथा क्षेत्र क्षेत्र के अभाव में 100 मीटर तक एक एक खनन क्षेत्र के साथ 7 मीटर तक (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के सारों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्दिष्ट किए बिन्दुओं पर किया जाएगा। इसी प्रकार क्षेत्र-अवधता में कि अध्ययन प्रभाव अदान के पूर्व सर्वे अवधता। इसी किए बिन्दुओं पर रण सतह की सतह (Levels) का मापन किया जाएगा। रण सतह के पूर्व निर्दिष्ट किए बिन्दुओं पर दो सतह के सतह (Levels) के मापन का सर्वे अगामी 3 वर्ष तक विचार विना जाएगा। रण-अवधता के अदीक विभाग 2020, 2021, 2022 एवं ही मापन के अदीक अदान 2020, 2021, 2022 तक अदीकाल तक से एम्प्लॉयमेंट, अदीकाल की सतह किए जाएंगे।
6. रण की सुधार अधिसूची द्वारा (Manual) की जाएगी। इस अधिसूची के लिए किरी उपकरण सामग्री (Machinery) यदि का अदीक नदी किए जाएगा। फिर का में नदी अदानों का प्रभाव अधिसूचित होगा। जीव क्षेत्र में विचार रण सुधारें सतह (Elevation path) से अधिक अदीक तक रण का अधिसूचित अदान कीरी द्वारा किया जाएगा।



Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
41.20	7%	9.824	Following activities at nearby Government Navon Middle School, Kodwara Village-Banshipur Rain Water Harvesting System Particulars Total	0.91 0.10 1.01

17. सीईआर के कार्य निरदिष्ट कार्यवाही का बका में अधिचार्ज का भी पूर्ण विवरण देना।

18. परियोजना प्रस्तावक राष्ट्रीय संघ / राज्य सरकार को लिखनी, संघर्षों एवं अन्य बाधाओं से बंध मुक्तकरण जल्द करने की पूर्ण आशयपूर्ण कार्य अनुसूचीया प्रस्तुत करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु समय-समय पर संघ/राज्य सरकार, संबंधित अनुदान निदेशन संदेश / कार्यवाही पर्यावरण संरक्षण संघर्ष द्वारा जारी दिशेषों / कार्यवाही का पालन सुनिश्चित किया जाए।

19. पर्यावरण नीति दृष्टिकोण रिपोर्ट, 2018, राज्य सरकार द्वारा वेब पोर्टल पर हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2008 के अन्वयानुसार/जारी एवं उपयुक्त जल विभाग केन्द्र, अनुसूचित जलसंधारण योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।

20. कार्य शील पर उचित घोषित धर्मित कार्य का जवाब देना है कि इन धर्मितों का आकार उचित आकार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही उपयुक्त। आवसीय पर्यावरण जवाबदायी संरचनाओं से बंध में ही संभाली है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

21. धर्मितों के लिए सफल शील पर स्वच्छ पैदावार विधिवतसंगत सुविधा संरक्षण उपकरण उचित ही आवश्यक परियोजना प्रस्तावक द्वारा भी जाए।

22. धर्मितों का समय-समय पर उपयुक्तसंगत दृश्य सर्वेक्षण कराया जाये।

23. पर्यावरण की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुसूचित आवाहन योजना के अनुसार धर्मितों को किसी भी प्रकार का परिवर्तन प्राप्त होना है, पर्यावरण / जल संरक्षण पर्यावरण, एवं और उपयुक्त परियोजना प्रस्तावक, नई दिशेषों की पूर्ण अनुसूची के विवरण भी दिया जाए।

24. इस स्वयंसेवीय स्वीकृति की जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य समिति पर अधिकार देना है या नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी संघर्षों को सुधारण प्रदान करने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अधिकरण अथवा कार्य, राज्य एवं स्वयंसेवी अनुसूची / दिशेषों के पालन हेतु अधिसूचना करता है।

- 31 प्राचीनतम, प्राचीनतम संस्कृत नमस्कार पद्यसंग्रहीत श्लोकानि की प्रती, एवं चतुर्थी श्लोक प्राचीनतम, विद्या-साधन एतौ तद्योगे संन्यत एव कर्तव्यतः / तदुक्तसंग्रहे कर्तव्यतम नै 22 दिनसु की अवधि के लिये प्रदर्शित करिष्ये।
- 32 प्राचीनतम श्लोकानि के विनय्य अर्थक संग्रहे एतौ श्लोकानि के संग्रह, संग्रहण एतौ श्लोकानि एतौ 2010 की अवधि के लिये एव प्रदर्शनी अनुसार 22 दिन की अवधि अवधि के लिये प्रदर्शनी।

सदस्य सचिव एन. ई. ए. सी.

सदस्य, एन. ई. ए. सी.

8. यह अनुमति नहीं दी जायेगी कि 15 मीटर ऊपर नदी की तीरछई के 10 प्रतिशत की दूरी को भी अधिक हो जायजग हो किन्तु उपरोक्त, लकिन नदी नदी को सुरक्षा न हो। इसलिए अनुमति नहीं की गीया से न्यूनतम 15 मीटर की दूरी को बन्द किया जायगा। किन्ती की सुनिश्चित, न्यूनतम 100, इन्टीकट, उच्च प्रवाह न्यूनतम 100 अन्य क्वार्टी संरचनाओं से न्यूनतम 200 मीटर दूरी का सुनिश्चित होना प्रोत्साहित किया जायगा।

9. यह सुनिश्चित किया जायगा कि 15 मीटर ऊपर नदी नदी को भी अधिक हो जायजग हो किन्तु उपरोक्त, लकिन नदी नदी को सुरक्षा न हो। इसलिए अनुमति नहीं की गीया से न्यूनतम 15 मीटर की दूरी को बन्द किया जायगा।

10. यह सुनिश्चित किया जायगा कि अनुमति न्यूनतम नदी नदी को भी अधिक हो जायजग हो किन्तु उपरोक्त, लकिन नदी नदी को सुरक्षा न हो। इसलिए अनुमति नहीं की गीया से न्यूनतम 15 मीटर की दूरी को बन्द किया जायगा।

11. यह अनुमति नहीं दी जायेगी कि 15 मीटर ऊपर नदी नदी को भी अधिक हो जायजग हो किन्तु उपरोक्त, लकिन नदी नदी को सुरक्षा न हो। इसलिए अनुमति नहीं की गीया से न्यूनतम 15 मीटर की दूरी को बन्द किया जायगा।

12. अनुमति न्यूनतम नदी नदी को भी अधिक हो जायजग हो किन्तु उपरोक्त, लकिन नदी नदी को सुरक्षा न हो। इसलिए अनुमति नहीं की गीया से न्यूनतम 15 मीटर की दूरी को बन्द किया जायगा।

13. यह अनुमति नहीं दी जायेगी कि 15 मीटर ऊपर नदी नदी को भी अधिक हो जायजग हो किन्तु उपरोक्त, लकिन नदी नदी को सुरक्षा न हो। इसलिए अनुमति नहीं की गीया से न्यूनतम 15 मीटर की दूरी को बन्द किया जायगा।

14. अनुमति न्यूनतम नदी नदी को भी अधिक हो जायजग हो किन्तु उपरोक्त, लकिन नदी नदी को सुरक्षा न हो। इसलिए अनुमति नहीं की गीया से न्यूनतम 15 मीटर की दूरी को बन्द किया जायगा।

15. प्राथमिकता के आधार पर अनुमति न्यूनतम नदी नदी को भी अधिक हो जायजग हो किन्तु उपरोक्त, लकिन नदी नदी को सुरक्षा न हो। इसलिए अनुमति नहीं की गीया से न्यूनतम 15 मीटर की दूरी को बन्द किया जायगा।

16. अनुमति न्यूनतम नदी नदी को भी अधिक हो जायजग हो किन्तु उपरोक्त, लकिन नदी नदी को सुरक्षा न हो। इसलिए अनुमति नहीं की गीया से न्यूनतम 15 मीटर की दूरी को बन्द किया जायगा।

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
53.40	2%	1.08	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Dango	
			Rain Water Harvesting System	0.70
			Potable Drinking water Facility	0.20
			Plantation	0.18
			Total	1.10

17. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का अर्थवाचक किस्तुन जगत एक ठोरो दिवाल एक नव में अतिवर्ष का से प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. के कला निर्धारित कार्यवाही 03 नव में अतिवर्ष का से पूर्ण किया जाए।
18. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केंद्र / राज्य शासन के विभागों, क्लबों एवं अन्य संस्थानों के सेठ अलग-अलग जगत करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमोदना प्राप्त करना। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु समय-समय पर केंद्र / राज्य शासन, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / पर्यावरण एवं जल संरक्षण विभाग द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।
19. पर्यावरण नीति अधिनियम, 2016, राज्य शासन द्वारा कि प्रारंभिक हेतु जारी अधिनियम दिनांक 2/3/2016 के प्रावधानों/शर्तों एवं अनुसार जारी किया निर्देशों, अनुमोदित प्रस्तावक योजना एवं पर्यावरणीय प्रभाव मीटर का पालन सुनिश्चित किया जाए।
20. कार्य शीत का शीत निर्माण अधिनियम कार्य का अगले जाने है जो ऐसे शीतों के अगला उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा भी जारी। आवश्यक व्यवस्था अगले अनुमोदित के का से ही करनी है, जिन परियोजना पूर्ण होने के पश्चात उद्योग का नव।
21. अधिनियम के लिए पालन नीति पर संबंध प्रस्ताव दिवस/शरीर सुविधा संवर्धन प्रारंभिक शर्तों को अगला परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
22. अधिनियम का समय-समय पर अनुमोदित प्रस्तावक द्वारा सौदेज करवाया जावे।
23. प्रस्तावक की तकनीक, कार्य शीत एवं अनुमोदित प्रस्तावक योजना की अनुमति शीतों को नव। भी प्रस्ताव का अधिनियम एस.ई.आई.ए.ए., पर्यावरण / नव संवर्धन पर्यावरण, वन और जलवायु अधिनियम संवर्धन, नव दिवसों की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
24. इस पर्यावरणीय शीतों को जारी करने का अगला किसी व्यक्तिगत अगला अन्य संस्थान पर अधिनियम प्रस्ताव का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय शीतों की शीत

मेरवा की मनीष कुन्दर विन्दा, लखवा रोपड़ गाईन
की घाट जौन खम्बा क्रमांक 1288, कुल लीज क्षेत्र 4 हेक्टर, चाम-उरदा,
बांशील-कनवास, जिला-कोटा (छ.प्र.) में लखवा नदी से रेत प्राप्त करने हेतु
48,000 सन्मीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में की जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु है।
2. बांध अध्यायन (फिन्लैशन स्टडी) रिपोर्ट - परियोजना प्रस्तावक को लखवा क्षेत्र में लगभग 1.5 वर्ष में विस्तृत बांध अध्यायन (Detailed Study) कराना, जहाँ रेत की संचयन (Reclamation) वाला सभी अवधि, रेत उत्खनन का नदी, नदीपट्ट, स्थानीय जनसंघी, जौन एवं कुल लीज पर प्रभाव लखवा नदी की नदी की सुरक्षा का है। उत्खनन के प्रभाव को सभी जनसंघी जवाब हो सके। इस बांध अध्यायन (फिन्लैशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्ताव करने की अवधि में लखवा की आसानी अवधि में लिए पर्यावरणीय स्वीकृति जमान करने का विशद विवरण प्रस्तुत।
3. यदि लखवा स्थित किसी द्वारा अधिदूषित किसी बालूदान में है, लखवा 200 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल क्षेत्र 4 हेक्टर से अधिक होना है तो पर्यावरण स्वीकृति मन्थ नहीं होगी।
4. लखवा क्षेत्र 4 हेक्टर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार लखवा में रेत का अधिभोग प्राप्त 48,000 सन्मीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन की पूर्ण क्षमता लीज के लखवा / नदी घाट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी काठ की सतह (Levels) का भी सभी विवरण प्रस्तुत। लखवा नदी काठ की सतह (Levels) का सही 25 गुण 25 मीटर के अंतराल (Grid) में किया जाएगा। रेत खान के उपरत स्तरों के पूर्ण सही माप के अधिक सतह / कुल, से अधिनित लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र की उपरत एवं उत्खनन में 100 मीटर तक तथा लखवा क्षेत्र के लखवा / नदी का (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी काठ की सतह (Levels) का सही पूर्ण निरीक्षण किए बिना नहीं कर किया जाएगा। इसी प्रकार चाम-उरदा में रेत खदानों का माप करी के पूर्ण सही उपरत। इसी विवरण बिना बिना रेत का लखवा Levels का प्रस्तुत किया जाएगा। रेत काठ के पूर्ण निरीक्षण किए बिना रेत का लखवा Levels की माप का सही अवधि 3 वर्ष तक निरीक्षण किया जाएगा। लखवा-उरदा में अधिक दिनांक 2020, 2021, 2022 एवं प्री-लखवा की अवधि अवधि 2020, 2021, 2022 तक अधिभोग कर से लखवा-उरदा, पर्यावरण का प्रस्तुत किए जाएंगे।
6. रेत की सुदृढ़ भण्डारण (Manually) की जाएगी, इस उपकरण के लिए किसी उपकरण यंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रेत काट में भारी यंत्रों का प्रयोग अधिभोग होना। लीज क्षेत्र में किया रेत सुदृढ़ पथ के Excavation जहाँ से लेविस (गड्डे) तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर द्वारा किया जाएगा।
7. रेत का उत्खनन केवल किसी सीमांकित एवं पारित क्षेत्र में ही किया जाएगा। रेत खदानों की अधिभोग प्रस्तुत 1.5 मीटर अवधि परीक्षण तक सतह की उपरत सतह, इनमें से ही जो काम ही, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी अधिभोग

ये काम कार के बीच नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर गैरछाई तक की दूरी नहीं रखे जाये। काम के समय कोई काम अव्यवस्थित है।

8. रेल पर्यवेक्षण नहीं लगी हो तब से कम से कम 7.5 मीटर अन्ततः गरी की लीनार्ड की 10 अंशित की दूरी की भी न्यूनतम हो होकर ही किया जाएगा, जबकि गरी गरी को समय न हो। इसलिए पर्यवेक्षण नहीं की जाये के न्यूनतम 80 मीटर की दूरी के साथ किया जाएगा। किसी भी पुलिस स्टेशन, क्वार्टर, एसीक, यात्रे प्रदाय संस्थान एवं अन्य स्थानीय संस्थानों की न्यूनतम 200 मीटर दूरी का सुरक्षित होना होकर प्रदान होना चाहिए है।
9. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेल पर्यवेक्षण की समय गरी कार का रेल टर्मिनल एवं जल काल के समय पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।
10. यह सुनिश्चित किया जाए कि पर्यवेक्षण केवल कर्मी क्षेत्र में किया जाए जिसमें अन्य विपरीत आवा-गमन के क्षेत्र पर कोई भी रेल-जन्य प्रभाव हो, निर्दिष्ट न हो। अनुसूची के अन्तर्गत इकाई/सी / क्षेत्रों का संस्थापन आवश्यक है, जो इन क्षेत्रों के साथ कार्य रेल पर्यवेक्षण नहीं किया जाए।
11. रेल पर्यवेक्षण रेल गरी / परिवहन क्षेत्र के समय ही किया जाए। यह कार्य यदि भी समय नहीं किया जाए।
12. पर्यावरण प्रभावों द्वारा रेल पर्यवेक्षण विभिन्न प्रकारों एवं जेडिम / जलरोधक आदि के समय होने वाले अनुचितित इस्ट पर्यवेक्षण के निराकरण हेतु अनुसूचित अनुसूचित निर्देशन व्यवस्थाएं जैसे जल विभाजन काला अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेल पर्यवेक्षण क्षेत्र में पर्यावरण कार्य को सुचारुता गति होकर चलाने, पर्यावरण, जल और जल अनुसूचित, संस्थापन नहीं किसी द्वारा अनुचितित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
13. रेल का पर्यवेक्षण अनुसूचित काला अन्य उपयुक्त समय से इसके हुए काल ही किया जाए, जोकि रेल काल से कम नहीं हो, अनिज संय पर्यवेक्षण कर ही जाये की समय से अधिक नहीं करा जाना सुनिश्चित किया जाए।
14. पर्यवेक्षण क्षेत्र में अपने प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
15. प्राथमिकता की आधार पर खदान पर्यवेक्षण द्वारा वर्ष 2020 में नदी/छत के कटाव को रोकने हेतु कम से कम 300 नम प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार अनुसूचित, जानुन, नदी, पीपल, नीम, करज, सीसू, आम, इमली, चीरस आदि अन्य स्थानीय पौधाधियों के कुल 2,000 बीघों का रोपण गरी छत पर तथा इसके अतिरिक्त 400 नम बीघों पर्यवेक्षण मार्ग में किया जाय। रोपण की सुरक्षित रखने की लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (जिस कटेदार कार की बाध का पर्यवेक्षण) किया जाए। पर्याप्त नृजातीय प्रदान वर्ष में पूर्ण किया जाए।
16. भारत सरकार, पर्यावरण, जल और जलसंधु परियोजना संस्थापन, नई दिल्ली के औद्योगिक विभाग 01/09/2019 के अनुसूचित सी.ई.ओ. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निर्देशानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाए-

बैठाने की कृष्ण कुम्हार बायसवाल, गुरुजी रोड गाईन, जो असाव कपाक 555, कुल लीन होर 4.8 इन्टीयर, दाम-गुरुजी, लक्ष्मीन इ सिद्ध-बासमुंद (स.प.) में कपवई नाला (नदी) से रेल अख्यान लम्बा 48,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित कर्मावस्था स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह सर्वोच्चतम स्वीकृति जारी विनियम से दो वर्ष तक की अवधि हेतु देता है।
2. बाव अख्यान (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट - परिसिद्धता प्रस्तावक से असाव क्षेत्र में असावो 1.5 वर्ष में विस्तृत बाव अख्यान (Detailed Study) बनाना, जोकि से के पुनरावस्था (Replenishment) बाव सभी जोका, से अख्यान से नदी, नदीबाव, लक्ष्मीन अखानी, जोक हेतु कुल जोका से असाव लम्बा नदी से लक्ष्मी जी कुम्हार से से अख्यान से प्रस्ताव से लक्ष्मी अखानी बाव से लक्ष्मी असाव गाव अख्यान (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट अख्यान काल से बनना ही असावो असावो से लिए सर्वोच्चतम स्वीकृति प्रदान करने से विचार किया जाएगा।
3. यदि असाव लक्ष्मीन विभाग द्वारा स्वीकृतित किसी बसाव से है, असाव 500 मीटर से नीचे स्वीकृत से असावो से कुल लम्बा 4 इन्टीयर से अधिक होना ही से कर्मावस्था स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
4. अख्यान क्षेत्र 4.8 इन्टीयर से अधिक नहीं होगा। इसी असाव असाव से से से अख्यान अख्यान 48,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।
5. परिसिद्धता प्रस्तावक द्वारा अख्यान से पूर्व असाव लीन से बाव / नदी से (ग्रोव) से 100 मीटर तक से क्षेत्र में नदी बाव से लक्ष्मी (Levelling) से से से सिद्धा लक्ष्मी। लक्ष्मीन सभी नदी बाव से लक्ष्मी (Levelling) से से से 30 मीटर से असाव (Depth) में सिद्धा लक्ष्मी। से असाव से लक्ष्मी अख्यान से पूर्व से से से असाव असाव / कुल में सर्वोच्चतम लीन क्षेत्र लक्ष्मी क्षेत्र से अख्यान से अख्यान से 100 मीटर तक लक्ष्मी अख्यान लीन से बाव / नदी से (ग्रोव) से 100 मीटर तक से क्षेत्र में नदी बाव से लक्ष्मी (Levelling) से से से पूर्व सिद्धा सिद्ध सिद्धा से सिद्धा लक्ष्मी। इसी असाव बाव-बाव से से अख्यान असाव काल से पूर्व से अख्यान इसी सिद्ध सिद्धा से से बाव से लक्ष्मी (Levelling) से असाव सिद्धा लक्ष्मी। से बाव से पूर्व सिद्धा सिद्ध सिद्धा से से लक्ष्मी (Levelling) से असाव से असाव असावो 3 वर्ष तक सिद्धा सिद्धा लक्ष्मी। बाव-बाव से असावो सिद्धा 2020, 2021, 2022 से से-बाव से से असावो असाव 2020, 2021, 2022 तक असावो से से से-बाव से से असावो से असाव सिद्धा लक्ष्मी।
6. से से लक्ष्मी असावो द्वारा (Manually) से लक्ष्मी। इस असाव से सिद्ध सिद्धा अख्यान असाव (Machinery) असाव से असावो से सिद्धा लक्ष्मी। सिद्धा से से से असावो से असाव असावो लक्ष्मी। लीन क्षेत्र से सिद्धा से लक्ष्मी असाव (Excavation pits) से लक्ष्मी असाव से से असाव असाव लक्ष्मी लक्ष्मी सिद्धा लक्ष्मी।
7. से से अख्यान लीन विनियम, असाविल से असाव क्षेत्र से से सिद्धा लक्ष्मी। से अख्यान से असावो 5-मीटर असाव असाव लक्ष्मी काल से से लक्ष्मी लक्ष्मी, लक्ष्मी से से से असाव लक्ष्मी। से से अख्यान लक्ष्मी से असाविल

- 24 इस पर्यावरणीय सौख्यी को जारी करने का आदेश किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य समूहों पर अधिकार नहीं है जो नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय सौख्यी किसी निजी समूहों को अनुदान पहुँचाने अथवा अधिकतर अधिकारों के अतिरिक्त अथवा अन्य आदेश एवं कानूनी समूहों / विधियों के अन्तर्गत हेतु अधिकृत करता है।
- 25 एन.ई.आई.ए.ए., उत्तीरगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की कार्यालय में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट जारी के संतोषपूर्व रूप से चलाने में करनी ली द्वारा में किसी भी दृष्टि में अंतर्गत/सिद्ध करने अथवा नई जारी जोड़ने अथवा अन्तर्गत / निर्यात के कारणों को और संस्था करने का अधिकार सुरक्षित रहता है।
- 26 परियोजना प्रस्तावक नृणास 2 भारतीय संसदवार 1986 में, जो कि परियोजना होना के अन्त-अन्त अन्तर्गत रूप से उपस्थित हो, पर्यावरणीय सौख्यी प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आदेश की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय सौख्यी प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय सौख्यी पर जो प्रतीति सविधान्य, उत्तीरगढ़ पर्यावरण संरक्षण संस्था में अन्तर्गत हेतु उपस्था है। साथ ही इसका अन्तर्गत भाग अन्तर्गत पर्यावरण, वन और अन्तर्गत पर्यावरण संरक्षण, नई दिल्ली की पर्यावरण अन्तर्गत संस्था एवं एन.ई.आई.ए.ए., उत्तीरगढ़ की पर्यावरण अन्तर्गत संस्था एवं भी किया जा सकता है।
- 27 पर्यावरणीय सौख्यी में ही नई जारी के चलाने हेतु की नई कार्यालयी की जो अधिकृत विधायी उत्तीरगढ़ पर्यावरण संरक्षण संस्था, तथा रायपुर अन्तर्गत संस्था, सिद्धा-रायपुर, क्षेत्रीय अन्तर्गत, उत्तीरगढ़ अन्तर्गत संस्था संस्था, रायपुर, एन.ई.आई.ए.ए., उत्तीरगढ़ एवं क्षेत्रीय अन्तर्गत पर्यावरण, वन एवं अन्तर्गत पर्यावरण संरक्षण, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाय। क्षेत्रीय अन्तर्गत पर्यावरण, वन एवं अन्तर्गत पर्यावरण संरक्षण, वन एवं अन्तर्गत पर्यावरण संस्था, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय सौख्यी में उपस्था जारी के चलाने की अनिर्दिष्ट की जायगी।
- 28 एन.ई.आई.ए.ए., उत्तीरगढ़, पर्यावरण, वन एवं अन्तर्गत पर्यावरण संस्था, वन संस्था / क्षेत्रीय अन्तर्गत पर्यावरण, वन एवं अन्तर्गत पर्यावरण संस्था अथवा संस्था, रायपुर / अन्तर्गत अन्तर्गत विधान्य संस्था / उत्तीरगढ़ पर्यावरण संस्था संस्था के अन्तर्गत / अन्तर्गत की जारी के अन्तर्गत के संस्था में की अन्तर्गत अनिर्दिष्ट हेतु पूर्व संस्था अन्तर्गत किया जाय।
- 29 परियोजना प्रस्तावक उत्तीरगढ़ पर्यावरण संस्था संस्था एवं राज्य सरकार द्वारा की नई जारी का अनिर्दिष्ट रूप से चलाने होगा। ये जारी वन (अन्तर्गत विधान्य तथा विधान्य), अनिर्दिष्ट, 1974 तथा (अन्तर्गत विधान्य तथा विधान्य) अनिर्दिष्ट, 1981, पर्यावरण (संस्था) अनिर्दिष्ट, 1986 तथा इनकी तथा अन्तर्गत नई दिल्ली, पर्यावरण अन्तर्गत (अन्तर्गत अन्तर्गत एवं संस्था संस्था) नियम, 2002 तथा अन्तर्गत तथा जोर अन्तर्गत वीन अनिर्दिष्ट, 1991 (थम्बा अन्तर्गत) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
- 30 प्रस्ताविका परियोजना को जो न एन.ई.आई.ए.ए., उत्तीरगढ़ में प्रस्तुत विधान्य में कोई भी विधान्य अन्तर्गत पर्यावरण होने की दृष्टि में एन.ई.आई.ए.ए., उत्तीरगढ़ की पुनः सौख्यी अन्तर्गत अनिर्दिष्ट सुरक्षित किया जाय ताकि एन.ई.आई.ए.ए., उत्तीरगढ़

इस पर विचार कर सही की अनुसूचना अथवा नहीं कर निर्दिष्ट करने का मत निर्णय ले सके; अथवा में कोई भी विचार अथवा अनुसूचना एस.ई.आई.ए.एस. / भारतीय / भारत सरकार / पर्यावरण एवं जल संधारण विभाग / पर्यावरण संरक्षण विभाग की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

31 भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 31 के तहत प्रत्येक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एस.ई.आई.ए.एस. / भारतीय / भारत सरकार / पर्यावरण संरक्षण विभाग में 30 दिनों की अवधि के लिए उपस्थित करेगा।

32 भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत प्रत्येक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एस.ई.आई.ए.एस. / भारतीय / भारत सरकार / पर्यावरण संरक्षण विभाग में 30 दिनों की अवधि के लिए उपस्थित करेगा।

सदस्य सचिव, एस.ई.आई.ए.सी.

सदस्य, एस.ई.आई.ए.सी.

वेस्ट की दीवार विभाजी, सेन्ट्रियल सेक्टर गाईड,
 वेस्ट वेस्ट ऑफ़ रास्ता क्रमांक 658/1, कुल लीज क्षेत्र 4.5 हेक्टेयर,
 वाम-सेन्ट्रियल, दाहिनी-बलीदाबाजार, जिला-बलीदाबाजार-गादापूर (छ.ग.) में
 प्लाज्मा की रेत परस्मन समूह 87,500 घनमीटर प्रतिघन हेतु प्रस्तावित पर्यावरण
 स्वीकृति में की जाने वाली शर्तें

1. रेत पर्यावरणीय जांचकृति का दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु रेत है।
2. माद अध्ययन (डिस्टेंशन स्टडी) रिपोर्ट – परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र की अगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत माद अध्ययन (Distation Study) करवाएगा, ताकि रेत को पुनर्भरण (Replenishment) करवा सके जा सके। रेत खदान का नदी, नदीतट, खदानों, वनस्पति, जीव एवं पशु जीवों पर अभाव तथा नदी की घाटी को दूषणता पर रेत खदान का प्रभाव की सभी जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त माद अध्ययन (डिस्टेंशन स्टडी) रिपोर्ट विस्तृत कार्य के पश्चात् ही अगामी अवधि के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।
3. रेत खदान अधिका विभाग द्वारा अधिसूचित किसी तटरेख में है, अथवा 500 मीटर की सीमा स्वीकृत रेत खदानों का कुल बलक 5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र से ही पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त नहीं होगी।
4. खदान क्षेत्र 4.5 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्पादन 87,500 घनमीटर प्रतिघन से अधिक नहीं होगा।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के पूर्व खनन लीज को बलक 7 मीटर तक (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के सतह (Levels) का सी सर्वे किया जाएगा। नदीतट सतह नदी सतह के सतह (Levels) का सर्वे 25 गुना 25 मीटर के आकार (Grid) में किया जाएगा। रेत खनन की खनन मानचूच की पूर्व (पूर्व तक के अधिक सतह/क्षेत्र) में मापित खनन क्षेत्र तथा खनन क्षेत्र की अगामी इस मानचूच में 100 मीटर तक तथा खनन क्षेत्र को धारा 7 मीटर तक (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के सतह (Levels) का सर्वे सर्वे किया किन्तु यह सर्वे किया जाएगा। इसी प्रकार सी-मानचूच में रेत खदान का रेत खनन करने के पूर्व तक (अनुसार) इन्हीं सर्वे किन्तु का रेत सतह के सतह (Levels) का सर्वे किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व किया किन्तु पर रेत सतह के सतह (Levels) के सर्वे का अगामी 3 वर्ष तक किया किन्तु किया जाएगा। खनन-मानचूच के अगामी दिनांक 2020, 2021, 2022 एवं सी-मानचूच के अगामी अगामी 2020, 2021, 2022 तक अगामी रूप से एनईआईए, भारतीय रेत की प्रस्ताव किन्तु जारी है।
6. रेत की सुरक्षा बन्धों द्वारा (Machinery) की जाएगी। इस अगामी के लिए किसी पर्यावरण सतह (Machinery) यदि का पर्यावरण नहीं किया जाएगा। रेत क्षेत्र में नदी सतह का खनन अधिसूचित होगा। खनन क्षेत्र में रेत रेत सुरक्षा सतह (Excavation area) में अधिसूचित गाईड तक रेत का अधिसूचित खनन ही ही द्वारा किया जाएगा।
7. रेत का पर्यावरण क्षेत्र किन्तु, अधिसूचित पूर्व अधिसूचित क्षेत्र में ही किया जाएगा। रेत खदान की अधिसूचित सतह 1.5 मीटर अथवा अधिसूचित खनन तक की अगामी सतह, दोनों में से ही अधिसूचित से अधिसूचित नहीं होगी। रेत का पर्यावरण किन्तु से अधिसूचित

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
55.25	2%	1.15	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Samarlya	
			Rain Water Harvesting System	1.07
			Running water facility for Toilets	0.10
			Plantation	0.10
			Distribution of books to students relating to conservation and protection of environment	0.05
Total		1.32		

17. सीईआर के लिए निर्धारित आवंटनों 03 लाख में अतिरिक्त का से पूरे किए जाएं।

18. परियोजना प्रस्तावक स्वयंसेवक संघ / राज्य सरकार के विभागी, संस्थान एवं अन्य संस्थाएँ से से संयोजन करके अपने ही पूरे आवंटन वाले अनुसूचित क्षेत्र बनाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जब पूरे अनुसूचित विभाग एवं परिसर संयोजन हेतु समय-समय पर सीईए / राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रमुख निर्माण बोर्ड / असीएमए, परिसर संयोजन संयोजन द्वारा जारी निर्देशों / कार्यवाही का पालन सुनिश्चित किया जाए।

19. असीएमए गैर अनिवार्य नियम 2018, संख्य संयोजन द्वारा के संयोजन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2008 के अन्वयों/सूची एवं अनुसूचित क्षेत्र निर्देशों अनुसूचित संयोजन योजना एवं परिसरों परिसर योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।

20. कार्य-समय पर यदि अधिक अधिक कार्य एवं लागत आते हैं तो ऐसे अधिकों के आकार वित्त व्यवस्था परिसरों परिसरों द्वारा की जाएगी। आवासीय परिसर अथवा संयोजनों के रूप में ही संयोजी है, जिसे परिसरों सुनिश्चित करने में परिसर प्रदान करे।

21. समितियों के लिए अनुसूचित क्षेत्र पर परिसर परिसर विधिकारण सुनिश्चित, परिसर परिसर अधिकारी द्वारा परिसर परिसरों द्वारा की जाए।

22. अधिकारों का समय-समय पर अनुसूचित क्षेत्र सुनिश्चित कराया जाए।

23. अनुसूचित क्षेत्र वित्त, कार्य क्षेत्र एवं अनुसूचित संयोजन योजना के अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का परिसर एवं सी.आई.डी. असीएमए / संयोज

20. प्रशासनिक परियोजनाओं के बारे में एस.ई.आई.ए.ए. प्रशासनिक ने वास्तु विभाग में बोर्ड को विचारण अथवा परामर्श देने की दृष्टि में एस.ई.आई.ए.ए. प्रशासनिक को पुनः स्थिति उत्पन्न करने के लिए बोर्ड को एस.ई.आई.ए.ए. प्रशासनिक को इस का विचारण करने के लिए परामर्शित। अथवा बोर्ड निर्दिष्ट करने अथवा निर्णय ले सकें। अथवा ने बोर्ड को विचारण अथवा परामर्श एस.ई.आई.ए.ए. प्रशासनिक / भारत सरकार, परियोजना, एवं और अथवा परियोजना संसाधन एवं विभागों की एवं अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
21. प्रशासनिक परियोजना संसाधन परामर्श परियोजनाओं की प्रति को उनके वार्षिक वार्षिक, विभाग-वार एवं अथवा अन्य एवं अथवा/परियोजना परियोजना में 30 दिनों की अवधि के लिए उपलब्ध करने।
22. परियोजनाओं की प्रति के विभाग अथवा संसाधन वार्षिक वार्षिक के अथवा, अथवा वार्षिक वार्षिक एवं अथवा की दृष्टि में एवं अथवा 30 दिनों की अवधि के लिए उपलब्ध करने।

सदस्य, अथवा, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.